मीआदसे ख़ारिज समझी जातीहै परंतु डिगरीदार को यह इख़्तियार होताहै कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी करालै इसमेंकर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ताहै क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का ख़र्चा दूसरी दफ़े देना पड़ताहै इसलिये यह क़ायदा अब रद्दकिया जाताहै और जो डिगरी मीआद से ख़ारिजहो उसकी बुनियादपर केवल उसी वक्त नयामुक़द्दमा सुनाजायगा कि जब मुद्दई मदयूनके इलाक़ेसे बाहर चलेजानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाईजावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अदा-लतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी दफ़ा नालिश करसकता है ॥

दफ़ा(४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इख़्ति-यार के अंदर वो सब मुक़द्दमे सुने वो फ़ैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसीमुआहिदे या नुक़सान हक़परहो परंतु जो मुक़द्दमे भलमनूसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुयेंकी तो नहीं सुनेजांयगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसेमकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुख़तारकी जोकोईहो--होनी चाहिये और उसमें नीचेलिखीहुई बातेंभी लिखीजानीचाहियें ॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज़ात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुद्दआअलेह की निस्बत भी जहांतक मुमकिन वो मालूमहों येहीबातें लिखीजानी चाहियें ॥

(३) नालिशका कारण और दावेकी तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना वसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मुक़द्दमेका खुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हो और झगड़े की सूरत जो उस वक़्तहो ॥

(५) जो दस्तावेज़ें और हिसाब की नक़ल अरज़ी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़र्दभी दाख़िल होनीचाहिये॥

दफ़ा (६) अरज़ीदावेकी तस्दीक़ इसतरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखाहै तस्दीक़करताहूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहै वो जहांतक मैंजानता वो यक़ीन करताहूं बिलकुलसचहै ॥

दफ़ा (१०) अरज़ीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी राय में मुद्दईका

नाम बापका नामज़ात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाज़िरीका वक़्भी साफ़लिखाजावे॥

दफ़ा (१४) सम्मन या कैफ़ियत या काग़ज़ जो अदालतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहियें एक मुद्दआअलेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुद्द-आअलेह या गवाहके जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाईके दस्तख़तकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहियेसम्मन पर हाकिम के दस्तख़त और अदालत की मोहर रिया-सतके दस्तूरमुवाफ़िक होनीचाहियें॥

दफ़ा (१५)जो बनेतोसम्मन मुद्दआअलेहकेही हाथ में दियाजावे जो मुद्दआअलेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिग़नहो॥

दफ़ा(१६)जो अदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्द-आअलेहरियासतमेंमौजूदहै परन्तुसम्मनकेबचावकेलिये छिपगया और ढूंढनेसे पतानहीं मिला तोएक इत्तिलाअ नामा ऐसीमीआदका जो पंद्रह दिनसे कम नहो उसके घरपर चिपकादे और उसमें यहहुक्मदेकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़द्दमा एकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी मुद्दआअलेह कचहरीमें नआवे तोअदालतकोसमझलेना

ख्वास्तदे जो दावा पचासरुपयेतक का हो तो ऐसीद-रख्वास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदा-खिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे ज़ियादा काहो तोएकरुपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफ़ा(२०)जोमुद्दई हाज़िरहो और मुद्दआअलेह नहीं आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुक़द्दमाएकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा परंतु अदालत इसबातकोनि-श्चय करले कि मुक़द्दमे के सुननेकी तारीख़की इत्तिला-अ मुद्दआअलेहको होगई अगरज़रूरतहोतो ऐसी डिगरी में मदयूनके उजरातपरइजरायडिगरीमें ग़ौरहोसक्ताहै॥

दफ़ा (२१) जो अदालत किसी कारणसे मुनासि-ब समझे तो मुक़द्दमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन मुक़र्रर करके मुद्दआअलेह को इत्तिलाअदेसक्ती है परंतु मुद्दईको भी उसहुक्म की इत्तिलाअ देनी चाहिये ॥

दफ़ा (२२) तारीख़मुक़र्ररह पर जब फ़रीक़ैन हा-ज़िर होजावें तो अरजीदावा मुद्दआअलेह को पढ़कर सुनायाजावे और उससे हलफ़न पूछाजाय कि उसको मुद्दईके दावेसे इनकार है या इक़बाल जो इक़बाल हो तो ज़ियादह तहक़ीक़ात करनेकी ज़रूरत नहीं सिर्फ़ दो

इन्कारी मुशकिल से साबित होताहै और यह आम बातहै कि जब कोई शख़्स एकबात पेशकरे और दूसरा उससेइनकार करे तो अव्वल शख़्सपर कि जो फ़ैसला करानाचाहे उस अम्रका साबित करदेना लाज़िम है॥

दफ़ा (२७) अम्रतन्क़ीहतलब क़रारदेने में अदालतको एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुक़द्दमे के बरख़िलाफ़ हो न होनेपावे लेकिन ऐसा मौक़ा ज़रूर देनाचाहिये कि जिससे मुक़द्दमे की असलियत व हक़ीक़त दरियाफ़्त करने में मदद मिले॥

दफ़ा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से तअ़ल्लुक़ रखता है वो मुक़द्दमा दायर होतेही शामिल मिसल होजाना चाहिये फिर बग़ैर अदालत के हुक्म के न लियाजावे और हरएक काग़ज़ पर जो मिसल में शामिलहो नम्बरऔर अनवान मुक़द्दमा और नाम उस फ़रीक़ का जिसने पेशकिया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तख़त होने चाहियें॥

दफ़ा (२९) नीचे लिखीहुई दस्तावेज़ें बिला ख़ास हुक्म महकमे ख़ासके सम्मतमें न लीजावें याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुनाजावे॥

(१) जिस दस्तावेज़ को रजिस्टरी लाज़िमीहै और

दरजे के सबबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्द-
आअलेह रियासत के नौकर हों वो अपने अफ्सर के
मारफ़त बुलाये जांयगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक़ैन के गवाहों के इज़हार
क़लमबंद होचुकें तो अदालत फ़रीक़ैन के पेशकिये हुये
तहरीरी वो तक़रीरी सबूतका मुलाहिज़ा व ग़ौर करने
के बाद मुक़द्दमेकाफ़ैसला लिखकर फ़रीक़ैनकोइत्तिलाअ
देदे और जो फिर कोई बात दरियाफ़्त तलब बाक़ीरह-
जावे तो उसके वास्ते दूसरी तारीख़ मुक़र्रर करदे ॥

दफ़ा(३४)जोअदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैन
कीदरख़्वास्त पर या बिला उनकी दरख़्वास्त के नीचे
लिखी हुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह
आदमियों को कमीशन मुक़र्रर करसक्ती है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर
नहीं होसक्ते या जो हाज़िरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्बत ख़ास या
आमतौर पर हिदायत करसक्ती है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये
चाहे उस में उनकीराय हस्ब मन्शायअदालत लीजावे
या नहीं ॥

दफ़ा (३७) जो फ़रीक़ैन आपसमें फ़ैसला कर के अदालतको इत्तिलानदें तो अदालतको इख़्तियारहोगा कि जिस फ़रीक़का क़ुसूरहो उसपर या दोनोंफ़रीक़पर पांच रुपये तक जुर्माना करसक्ती है॥

दफ़ा (३८) जो फ़रीक़ैन चाहै कि मुक़द्दमा एक या ज़ियादह पंचों को फ़ैसले के लिये सौंप दिया जाय तो फ़रीक़ैन से एक शख़्स या हरएक फ़रीक़ से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियाफ़्त करके उनसे इक़रारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फ़ैसला करदें वो उनको मंज़ूरवो क़बूलहोगा ऐसा इक़रारनामा दाख़िल होनेपर अदालत मुक़द्दमे को इक़रारनामेमें लिखेहुई शर्तोंकेमुवाफ़िक़ पंचोंकेसिपुर्द करदे॥

दफ़ा (३९) पंचोंका फ़ैसलाअदालत काफ़ैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफ़रीक़ैनको मंज़ूर करनापड़ैगा॥

दफ़ा(४०)पंचोंका फ़ैसला अदालतमें दाख़िलहोनेके पीछेदशदिनकीमोहलतफ़रीक़ैन को इसवास्ते दीजावेगी किजोकिसी फ़रीक़को किसीपंचकोबेईमानीज़ाहिरवोसाबितकरनीहो तोउसमोहलतमें करदेजबवोमीआदपूरीहोजावेकैफ़ियतपंचोंकीमंज़ूरकरकेमुक़द्दमाफ़ैसलकरदेना

दफ़ा (४५) हरएक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और ज़ात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुद्दई या मुद्दआअ़लेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्दई मुद्दआअ़-लेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की इजाज़त देनी चाहिये परंतु अ़दालत कोतजवीज़ कर-ना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौक़े या फ़साद पैदाकरनेवाले सवाल करने की इजाज़त हरगिज़नहीं दीजावेगी ॥

दफ़ा (४६) फ़ैसले पर दस्तख़त हाकिम और तारीख़ होनी चाहियें और उस तजवीज़में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुक़द्दमा का इब्तिदाईहाल२-जो बातें तन्क़ी-ह तलब हों३—तन्क़ीह तलब का नतीजा मयख़ुलासे बयानकिसीख़ास गवाहके जिसकी ज़रूरतहो ४-तज-वीज़ अ़दालत ॥

दफ़ा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का ख़ुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफ़ा (४८) दस्तख़त करने के पीछे हाकिम तज-

जो क़िस्तबंदोकी तजवीज़ हुई हो तो तारीख़ क़िस्तों को और तादाद हरएक क़िस्तके रुपयों की दर्जहोनीचाहिये—और तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुद्दआअलेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़सील लिखदेनी चाहिये कि वो ख़रचा किससे वसूल कियाजावेगा ॥

दफ़ा (५१) हरएक सूरत में तजवीज़ ख़रचे को अदालतही करेगी ॥

दफ़ा (५२) जो कोई मुद्दई ग़ैर इलाक़े का रहने वाला हो तो मुक़द्दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत ख़रचे मुद्दआअलेह की दाख़िल कराना ज़रूरहै ॥

दफ़ा (५३) मुद्दई मुद्दआअलेहको अख़ीर तजवीज़ से रूबरू इत्तिलाअदेनी चाहिये—और जो ज़रूरतसमझी जावे तो एक इत्तिलाअनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तख़तइत्तिलाअपाई फ़रीक़ैन के करालिये जावें ॥

दफ़ा (५४) जब मुक़द्दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख़्वास्त किसी मुद्दई मुद्दआअलेह की पेश होने पर अदालत को नक़ल किसी काग़ज़ की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अख़ीर की इस शर्त पर कि फ़ीस लिखाई जो मुक़र्ररहै दाख़िल करदीजावे देनी होगी ॥

करदे-और जो मुद्दआ़अ़लेह ज़मानत नदे तो जो जाय-दाद मुद्दआ़अ़लेह की मुद्दई बतलावे वो अख़ीर हुक्म होने तक क़ुर्क़ करदीजावे ॥

दफ़ा (५७) जो ऐसे फ़ैसले से पहलेकी क़ुर्क़ी में मुद्दई मुद्दआ़अ़लेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे मुवाफ़िक़ इतमीनान करनेके बाद अ़दालतको उन आ-दमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुद्दआ़अ़लेह का रुपया बाक़ी होना ज़ाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम-ज़मूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन हो वो रुपया मुद्दआ़अ़लेहको नदे ॥

दफ़ा (५८) जो मुद्दई अ़दालतके सामने हलफ़नूब-यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्दआ़अ़लेह भागना चाहता है तो अ़दालत मुद्दआ़अ़लेहसे हाज़िर ज़मानतमांगे और जो मुद्दआ़अ़लेह नदे तो मुक़द्दमा फ़ैसल होने तक मुद्दआ़अ़लेह हवालात दीवानी में रक्खा जावे ॥

दफ़ा (५९) जो मुद्दआ़अ़लेह इसतरह हवालात में रक्खाजावेगा उसकी ख़ूराक मुद्दईसे ली जावेगी और मुक़द्दमा फ़ैसल होनेपर इसका बोझ उस फ़रीक़ पर रहैगा जिसके ज़िम्मे ख़रचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा ख़ारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले॥

दफ़ा (६४) जो मुक़द्दमामुद्दईकी अदमपैरवीकेसबब से ख़ारिज होजावे तो मुक़द्दमेका ख़रचा मुद्दईसे जिस-वक्त उसको हैसियत हो या उसको कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फ़ैसला होजाने के सबबसे मुक़द्दमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फ़ीस मुक़र्ररा फ़ौरन् मुद्दईसे वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफ़ा(६५)इजराय डिगरीकी दरख़्वास्तउसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख़्वास्तकेसाथ डिगरी की नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख़्वास्तमें दरख़्वास्त देनेवालेको हकरसीकी सूरत साफ़२लिखनी होगी याने जो जायदाद वोक़ुर्क़ करना चाहताहै उसकी मुफ़स्सिल फ़ेहरिस्त दाख़िलकरे॥

दफ़ा (६६) ऐसी दरख़्वास्त अपीलकी मीआद गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ़ैसलेसे पहिले की क़ुर्क़ीके मुवाफ़िक़ डिगरीदार दरख़्वास्त पेशकरे तो अदालत मदयूनसे ज़मानत मांग सक्तीहै औरजोमद-यूनज़मानत दाख़िल न करेतो क़ुर्क़ी जायदाद मनक़ूला

(१)खेतीके औज़ार-यादूसरेऔज़ार जिनसे मदयून कमा कर खाताहै—

(२) मवेशी याने हलके बैल ॥

(३)हासिल और बीजकानाजऔरजो अदालत मुनासिब समझे कि हक़ीक़त में करसे के पास खानेकोन था औरदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी ग़ल्ला क़ुरक़ी से छुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख्वाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) ख़ात ॥

दफ़ा(७१) चूंकि शादीके वक़्त हतक़के सिवाय मज़हबी रसममेंभी फ़तूर पड़ताहै इसलिये ऐसे मौक़े पर फ़ैसलेसे पहिलेकी क़ुरक़ी या इजराय डिगरीमें क़ुरक़ी न होसकेगी ॥

दफ़ा(७२)जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर क़ब्ज़ा दिला दिया जावेगा औरजो रहननामेमें नक़दरुपया वसूलहोनेकोशर्त्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकर हक़रसीकराईजायगी

दफ़ा (७६) कुलजायदाद गैरमन्क़ूलाकी क़ीमतका तख़मीनातय्यारकियाजावेगा औरजोतख़मीनेकेमुवाफ़िक़ क़ीमत नीलाम में नलगे तोजायदाद दुबारा नीलाम कीजावे और जो फिरभी ज़रूरतहो तो तीसरीदफ़े उस वक़्त जो आदमी ज़्यादह क़ीमत लगावे उसके नामपर बोली ख़तम कीजावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंजूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफ़ा (७७) जिसकीआख़ीर बोलीहो उससेनीलाम की चौथान उसीवक़्त भरालीजावे और फिर नीलाम की मंजूरी के लिये एक महीने की मिआद दीजायगी जो इस मिआद में मदयून डिगरी का रुपया अदा करदे तो नीलाम रद करदिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकन्नी रुपयेके हिसाबसे लिया जाताहै मदयून को देनापड़ेगा और ख़रीदार नीलामने जो चौथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥

दफ़ा (७८) इस मिआद के गुज़रने के बाद ख़रीदार नीलामको सार्टीफ़िकट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका क़ब्ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो दूसरेउज़रदार का

ादाद डिगरी	तादाद हवालात
ो डिगरी ५०) से ज़्यादहनहो	एक महीना
ो डिगरी१००) से ज़्यादहनहो	तीनमहीने
ो डिगरी२००) से ज़्यादहनहो	चारमहीने
ूसरे मुक़द्दमों में	छः महीने

जिसवक़्त डिगरीदार हवालातकी दरख़्वास्त पेश रे उसको दरख़्वास्त के साथ अदालत में ऐसो शरह जिसकी तादाद ≡) आने रोज़से ज़्यादह न हो अ-ालतकी तजवीज़ के मुवाफ़िक एक महीने की ख़ूराक दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले ो डिगरी ५०) से ज़्यादह की हो तो मुद्दईको ख़ूराक दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिआद पूरीहोने र मदयून छोड़दिया जावेगा ॥

दफ़ा (८३) जब वारंटके साथमदयून जेलख़ानेमें जाजावे तो उसमें क़ैदकी मिआद लिखदेनी चाहिये ौर मदयूनसे जेलख़ानेनेमें कोई मेहनतका कामनहीं ठया जावेगा ॥

दफ़ा (८४) मदयून उसीडिगरी के वास्ते दुबारा वालातमें नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयून का हवा-ातमें जाना डिगरीदार की हक़रसी की मालकी

दफ़ा (८६) ख़रचा इजराय डिगरी और ख़ूराक जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिम्मे डाला जायगा॥

उज़रदारीक़ुरक़ी

दफ़ा (६०) उज़रदारी क़ुरक़ीकी अर्ज़ी आठ आने केइस्टाम्पपर पेशहोगी औरउसमें साफ़लिखना चाहिये कि किसहक़के सबबसे दरख़्वास्त पेशकी जातीहै जो अदालतको दरख़्वास्त बे बुनियाद मालूम नहो तोएक दिन उस के सुनने के लिये मुक़र्रर करेगी और जो तारीखमुक़र्रकरे उसकी इत्तिलअ़ डिगरीदार मदयून औरउज़रदार को दीजावेगी और उसकी तहक़ीक़ात ऐसेहीकीजावेगी जैसेमामूली नालिशकीइसमें उज़रदार मुद्दई और फ़रीक़ैन मुद्दआअ़लेह गरदाने जावेंगे-जो यहसाबित होजावे कि कुर्क़ कियाहुआ माल या जायदाद मदयूनको नहींहैतो कुर्क़ी उठादीजावेगी॥

दफ़ा (६१) जो यह साबित होजावे कि माल या जायदाद उज़रदार के पास गहने है तो उज़रदार मुरतहिनको नीलामकेरुपयेमेंसे पहले गहनाभर कारुपया दिलाया जावेगा॥

दफ़ा (६२) उज़रदारी साबित होजावेतोउज़रदारी

दफ़ा (९४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इख्तियार होगा कि फ़रीक़ैनको बग़ैर बुलाने के दर्ख्वास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख़ मुक़र्रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे॥

दफ़ा (९५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़द्दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामूली मुक़द्दमे की॥

अपील

दफ़ा (९६) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकीअदालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा॥

दफ़ा (९७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैसलेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महकमे ख़ासमेंजो अपीलहो उसकोमीआदफ़ैसलेकोतारीख़ या इत्तिलाअपानेको तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायंगे॥

दफ़ा(९८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़ज़ूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़द्दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इख्तियार होगा कि फ़रीक़ैनको बग़ैर बुलाने के दर्ख्वास्त नामंज़ूर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख़ मुक़र्रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़द्दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामूली मुक़द्दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकीअदालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैसलेसें अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महक्मे ख़ासमेंजो अपीलहो उसकोमीआदफ़ैसलेकीतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़ज़ूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़द्दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इख्तियार होगा कि फ़रीक़ैनको बग़ैर बुलाने के दख्वीस्त नामंजूर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख़ मुक़र्रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़द्दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामूली मुक़द्दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकीअदालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैसलेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महकमे ख़ासमेंजो अपीलहो उसकोमीआदफ़ैसलेकोतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़ज़ूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़द्दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (१०२) जो अदालतअपील अदालतमातहतके फ़ैसलेको रदकरे या घटावे बढ़ावे तो अख़ीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक़ल अदालत मातहतकोइत्तिलाअ के लियेभेजदे॥

दफ़ा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील ज़ियादहतहक़ीक़ात याकिसी शकभरी हुई बात या नई तन्क़ीह की तहक़ीक़ातकेलिये मुक़द्दमेको अदालत मातहत में पीछाभेजसक्तीहै॥

दफ़ा(१०४)अदालत मातहत अदालत अपीलके हुक्मों की तामील करने के बाद मिसलको वापिस भेजदेगी और फ़रीक़ैनको फिर अदालत अपीलमेंहाज़िरहोनेकी हिदायत करेगी॥

दफ़ा (१०५) जोअदालतअपीलमें फ़रीक़ैन मुक़द्दमा पंचों के सिपुर्द करने की दरख़्वास्त करें या अदालत अपील इस बातको मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैनके मुक़र्रर किये हुये पंचोंके मुक़द्दमा सिपुर्दकिया जासक्ताहै—

दफ़ा (१०६)अदालत अपील वो अदालत मातहत केख़र्चेंकी तजवीज़ अदालत अपीलके हाथमें रहेगी—

मुतफ़र्रक़ात॥

दफ़ा (१०७) फ़रीक़ैन अपने आप या ऐसे वकील

फ़ैसलहों सदरदीवानी अ़दालतमें और वोअ़दालतमह-कमेख़ासमें भेजाकरे जो कोई मुक़द्दमा तीन महीने से ज़ियादह ज़ेरतजवीज़रहे तो जिसअ़दालतमेंऐसा मुक़द्दमाज़ेरतजवीज़होवेउसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरै॥

दफ़ा (११३) जब किसी अ़दालत दीवानीसे जागीरदारके मालकोकुर्क़ी कीजावे तो उसमें अ़दालत मज़कूरको महकमेख़ासकी मंज़ूरी लेनी चाहिये॥

दफ़ा (११४) जब मुक़द्दमेकी तहक़ीक़ात होतेवक्त कोईजाली काग़ज़ पेशहो या किसी फ़रीक़ या गवाहको हलफ़ दरोग़ी अ़दालतमेंसाबितहोतोअ़दालतको इख्तियारहोगा कि जाली काग़ज़ पेश करनेवाले या हलफ़ दरोग़ी करनेवालेको अ़दालत फ़ौजदारीके सिपुर्द करदे और इसकी इत्तिलाअ़ महकमेख़ासमें करे॥

दफ़ा(११५)जोकिसीके लड़का न हो और दूसरा रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको महकमे ख़ाससे सार्टीफ़िकट विरासत हासिल करनाहोगा—

दफ़ा (११६)बग़ैर ऐसे सार्टीफ़िकटके कोई वारिस नराजसेकोई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस की ज़मीन और न उसकेलेन देनका दावा अ़दालत दीवानीमें करसकेगा— इति

(घ) अदालत सदरदीवानी—इसको यह इख़्तियार दिया गयाहै कि ख़ास शाहपुरेके सारेमुक़द्दमे दीवानी दसरुपयेसे ज़ियादेके और परगनेफूलियाकेसारे मुक़द्दमे जो तहसीलदारों के इख़्तियारसे बाहिरके हैं तीन हज़ार तकके सुनाकरे और कोतवाली वो तहसीलदारोंके फ़ैसलेकी अपील भी यहही अदालत सुनेगी- और चूंकि काछोलाके सिवाय और सब ऊपर लिखी हुई अदालतें इसकी मातहत समझी जातीहैं उनकी सम्हाल इसके सिपुर्दकी जातीहै और मुक़द्दमोंकी कार्रवाईकेलिये जो हिदायत जारीहों वोभी इस अदालतकी मारफ़त नीचेकी सब अदालतोंमें भेजीजायाकरें॥

(च) महकमाख़ास—इस अदालतको इख़्तियार है कि परगने काछोला के पांचसौरुपयेसे ज़ियादाके और परगने फूलियाके तीनहज़ारसे ज़ियादाके सब मुक़द्दमे दीवानी के सुनाकरे और काछोलाकी कचहरीके फ़ैसलोंकी जो अपीलहों वो सब—औरपरगने फूलियामेंअदालत सदरदीवानीके फ़ैसलेकी अपील यह अदालत सुने—और इस अदालतको यहभी इख़्तियार होगा कि अगर किसी ग़ैर इलाक़ेवाले का कोई मुक़द्दमा या कोई ऐसा मुक़द्दमा जो अदालत सदर दीवानीके सुननेके

मीआदसे ख़ारिज समझी जातीहै परंतु डिगरीदार को यह इख़्तियार होताहै कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ताहै क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अ़दालत का ख़र्चा दूसरी दफ़े देना पड़ताहै इसलिये यह क़ायदा अब रद्दकिया जाताहै और जो डिगरी मीआद से ख़ारिजहो उसकी बुनियादपर केवल उसी वक़्त नयामुक़द्दमा सुनाजायगा कि जब मुद्दई मदयूनके इलाक़ेसे बाहर चलेजानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाईजावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अ़दा-लतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी दफ़ा नालिश करसकता है ॥

दफ़ा(४) दीवानीकी अ़दालतें अपने अपने इख़्ति-यार के अंदर वो सब मुक़द्दमे सुने वो फैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसीमुआहिदे या नुक़सान हक़परहो परंतु जो मुक़द्दमे भलमनसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुयेकी तो नहीं सुनेजांयगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसेमकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुख़तारकी जोकोईहो--होनी चाहिये और उसमें नीचेलिखीहुई बातेंभी लिखीजानीचाहियें ॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज़ात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुद्दआअलेह की निस्बत भी जहांतक मुमकिन वो मालूमहों येहीबातें लिखीजानी चाहियें ॥

(३) नालिशका कारण और दावेकी तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना वसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मक़द्दमेका खुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हो और झगड़े की सूरत जो उस वक्तहो ॥

(५) जो दस्तावेज़ें और हिसाब की नक़ल अरज़ी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़र्दभी दाखिल होनीचाहिये॥

दफ़ा (६) अरज़ीदावेकी तस्दीक़ इसतरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखाहै तस्दीक़करताहूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहै वो जहांतक मैंजानता वो यक़ीन करताहूं बिलकुलसचहै ॥

दफ़ा (१०) अरज़ीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी राय में मुद्दईका

नाम बापका नामज़ात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाज़िरीका वक़्भी साफ़लिखाजावे॥

दफ़ा (१४) सम्मन या कैफ़ियत या काग़ज़ जो अदालतसे जारीहो उसको दो परत होनी चाहियें एक मुद्दआअ़लेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुद्द-आअ़लेह या गवाहके जैसो कि सूरत हो इत्तिलापाईके दस्तख़तकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहियेसम्मन पर हाकिम के दस्तख़त और अदालत की मोहर रिया-सतके दस्तूरमुवाफ़िक़ होनीचाहियें॥

दफ़ा (१५)जो बनेतोसम्मन मुद्दआअ़लेहकेही हाथ में दियाजावे जो मुद्दआअ़लेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिग़नहो॥

दफ़ा(१६)जो अदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्द-आअ़लेहरियासतमेंमौजूदहै परन्तुसम्मनकेबचावकेलिये छिपगया और ढूंढ़नेसे पतानहीं मिला तोएक इत्तिलाअ़ नामा ऐसीमीआदका जो पंद्रह दिनसे कम नहो उसके घरपर चिपकादे और उसमें यहहुक्मदेकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़द्दमा एकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी मुद्दआअ़लेह कचहरीमें नआवे तोअदालतकोसमझलेना

ख़्वास्तदे जो दावा पचासरुपयेतक का हो तो ऐसीद-रख़्वास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदा-ख़िलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे ज़ियादा काहो तोएकरुपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफ़ा(२०)जोमुद्दई हाज़िरहो और मुद्दआअ़लेह नहीं आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुक़द्दमाएकतरफ़ा फ़ैसल करदिया जायगा परंतु अ़दालत इसबातकोनि-श्चय करले कि मुक़द्दमे के सुननेकी तारीख़की इत्तिला-अ़ मुद्दआअ़लेहको होगई अगरज़रूरतहोतो ऐसी डिगरी मेंमदयूनके उजरातपरइजरायडिगरीमें ग़ौरहोसक्ताहै ॥

दफ़ा (२१) जो अ़दालत किसी कारणसे मुनासि-ब समझे तो मुक़द्दमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन मुक़र्रर करके मुद्दआअ़लेह को इत्तिलाअ़देसक्ती है परंतु मुद्दईको भी उसहुक्म की इत्तिलाअ़ देनी चाहिये ॥

दफ़ा (२२) तारीख़मुक़र्ररह पर जब फ़रीक़ैन हा-ज़िर होजावें तो अरजीदावा मुद्दआअ़लेह को पढ़कर सुनायाजावे और उससे हलफ़नू पूछाजाय कि उसको मुद्दईके दावेसे इन्कार है या इक़बाल जो इक़बाल हो तो ज़ियादह तहक़ीक़ात करनेकी ज़रूरत नहीं सिर्फ़ दो

इन्कारी मुशकिल से साबित होताहै और यह आम बातहै कि जब कोई शख़्स एकबात पेशकरे और दूसरा उससेइन्कार करे तो अव्वल शख़्सपर कि जो फ़ैसला करानाचाहे उस अम्रका साबित करदेना लाज़िम है ॥

दफ़ा (२७) अम्रतन्क़ीहतलब क़रारदेने में अदालतको एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुक़द्दमे के बरख़िलाफ़ हो न होनेपावे लेकिन ऐसा मौक़ा ज़रूर देनाचाहिये कि जिससे मुक़द्दमे की असलियत व हक़ीक़त दरियाफ्त करने में मदद मिले ॥

दफ़ा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से तअल्लुक़ रखता है वो मुक़द्दमा दायर होतेही शामिल मिसल होजाना चाहिये फिर बग़ैर अदालत के हुक्म के न लियाजावे और हरएक काग़ज़ पर जो मिसल में शामिलहो नम्बरऔर अनवान मुक़द्दमा और नाम उस फ़रीक़ का जिसने पेशकिया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तख़त होने चाहियें ॥

दफ़ा (२९) नीचे लिखीहुई दस्तावेज़ें बिला ख़ास हुक्म महक्मे ख़ासके सम्मतमें न लीजावें याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुनाजावे ॥

(१) जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी लाज़िमीहै और

दरजे के सबबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्द-आअलेह रियासत के नौकर हों वो अपने अफ्सर के मारफ़त बुलाये जांयगे॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक़ैन के गवाहों के इज़हार क़लमबंद होचुकें तो अदालत फ़रीक़ैन के पेशकिये हुये तहरीरी वो तकरीरी सबूतका मुलाहिज़ा व ग़ौर करने के बाद मुक़द्दमेकाफ़ैसला लिखकर फ़रीक़ैनकोइत्तिलाअ देदे और जो फिर कोई बात दरियाफ़्त तलब बाक़ीरह-जावे तो उसके वास्ते दूसरी तारीख़ मुक़र्रर करदे॥

दफ़ा(३४)जोअदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैन कीदरख्वास्त पर या बिला उनकी दरख्वास्त के नीचे लिखीहुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह आदमियों को कमीशन मुक़र्रर करसक्ती है॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर नहीं होसक्ते या जो हाज़िरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्बत ख़ास या आमतौर पर हिदायत करसक्ती है॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये चाहे उस में उनकोराय हस्ब मन्शायअदालत लीजावे या नहीं॥

दफ़ा (३७) जो फ़रीक़ैन आपसमें फ़ैसलाकर के अदालतको इत्तिलानदें तो अदालतको इख़्तियारहोगा कि जिस फ़रीक़का क़ुसूरहो उसपर या दोनोंफ़रीक़पर पांच रुपये तक जुर्माना करसक्ती है॥

दफ़ा (३८) जो फ़रीक़ैन चाहे कि मुक़द्दमा एक या ज़ियादह पंचों को फ़ैसले के लिये सौंप दिया जाय तो फ़रीक़ैन से एक शख़्स या हरएक फ़रीक़ से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियाफ़्त करके उनसे इक़रारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फ़ैसला करदें वो उनको मंज़ूरवो क़बूलहोगा ऐसा इ-क़रारनामा दाख़िल होनेपर अदालत मुक़द्दमे को इक़-रारनामेमें लिखोहुई शर्तोंकेमुवाफ़िक़ पंचोंकेसिपुर्दकरदे॥

दफ़ा (३९) पंचोंका फ़ैसलाअदालत काफ़ैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफ़री-क़ैनको मंज़ूर करनापड़ैगा॥

दफ़ा(४०)पंचोंका फ़ैसला अदालतमें दाख़िलहोनेके पीछेदशदिनकीमोहलतफ़रीक़ैन को इसवास्ते दीजावेगी किजोकिसीफ़रीक़को किसीपंचकीबेईमानीज़ाहिरवोसा-बितकरनीहोतोउसमोहलतमेंकरदेजबवोमीआदपूरीहो-जावेकैफ़ियतपंचोंकीमंज़ूरकरकेमुक़द्दमाफ़ैसलकरदेना

दफ़ा (४५) हरएक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और ज़ात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुद्दई या मुद्दआअलेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्दई मुद्दआअ-लेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने को इजाज़त देनी चाहिये परंतु अदालत कोतजवीज़ कर-ना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौक़े या फ़साद पैदाकरनेवाले सवाल करने की इजाज़त हरगिज़नहीं दीजावेगी ॥

दफ़ा (४६) फ़ैसले पर दस्तख़त हाकिम और तारीख़ होनी चाहियें और उस तजवीज़में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुक़द्दमा का इब्तिदाईहाल २-जो बातें तन्क़ी-ह तलब हों ३—तन्क़ीह तलब का नतीजा मयख़ुलासे बयानकिसीख़ास गवाहके जिसकी ज़रूरतहो ४-तज-वीज़ अदालत ॥

दफ़ा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का ख़ुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफ़ा (४८) दस्तख़त करने के पीछे हाकिम तज-

जो क़िस्तबंदीकी तजवीज़ हुई हो तो तारीख़ क़िस्तों की और तादाद हरएक क़िस्तके रुपयों की दर्जहोनीचाहिये—और तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुद्दआअ़लेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़सील लिखदेनी चाहिये कि वो ख़रचा किससे वसूल कियाजावेगा॥

दफ़ा (५१) हरएक सूरत में तजवीज़ ख़रचे की अ़दालतही करेगी॥

दफ़ा (५२) जो कोई मुद्दई ग़ैर इलाक़े का रहने वाला हो तो मुक़द्दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत ख़रचे मुद्दआअ़लेह की दाख़िल कराना ज़रूरहै॥

दफ़ा (५३) मुद्दई मुद्दआअ़लेहको अख़ीर तजवीज़ से रूबरू इत्तिलाअ़देनी चाहिये—और जो ज़रूरतसमझी जावे तो एक इत्तिलाअ़नामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तख़तइत्तिलाअ़पाई फ़रीक़ैन के करालिये जावें॥

दफ़ा (५४) जब मुक़द्दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख़्वास्त किसी मुद्दई मुद्दआअ़लेह की पेश होने पर अ़दालत को नक़ल किसी काग़ज़ की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अख़ीर को इस शर्त्त पर कि फ़ीस लिखाई जो मुक़र्ररहै दाख़िल करदीजावे देनी होगी॥

करदे-और जो मुद्दआअलेह ज़मानत नदे तो जो जाय-दाद मुद्दआअलेह की मुद्दई बतलावे वो अख़ीर हुक्म होने तक क़ुर्क़ करदीजावे ॥

दफ़ा (५७) जो ऐसे फ़ैसले से प्रहलेकी क़ुर्क़ी में मुद्दई मुद्दआअलेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे मुवाफ़िक़ इतमीनान करनेके बाद अदालतको उन आ-दमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुद्दआअलेह का रुपया बाक़ी होना ज़ाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम-ज़मूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन हो वो रुपया मुद्दआअलेहको नदे ॥

दफ़ा (५८) जो मुद्दई अदालतके सामने हलफ़न्ब-यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्दआअलेह भागना चाहता है तो अदालत मुद्दआअलेहसे हाज़िर ज़मानतमांगे और जो मुद्दआअलेह न दे तो मुक़द्दमा फ़ैसल होने तक मुद्दआअलेह हवालात दीवानी में रक्खा जावे ॥

दफ़ा (५९) जो मुद्दआअलेह इसतरह हवालात में रक्खाजावेगा उसको ख़ूराक मुद्दईसे ली जावेगी और मुक़द्दमा फ़ैसल होनेपर इसका बोझ उस फ़रीक़ पर रहैगा जिसके ज़िम्मे ख़रचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा ख़ारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले ॥

दफ़ा (६४) जो मुक़द्दमामुद्दईकी अदमपैरवीकेसबब से ख़ारिज होजावे तो मुक़द्दमेका ख़रचा मुद्दईसे जिस-वक्त उसको हैसियत हो या उसकी कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फ़ैसला होजाने के सबबसे मुक़द्दमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फ़ीस मुक़र्ररा फ़ौरन् मुद्दईसे वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफ़ा(६५)इजराय डिगरीकी दरख़्वास्तउसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख़्वास्तकेसाथ डिगरी की नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख़्वास्तमें दरख़्वास्त देनेवालेको हक़रसीकी सूरत साफ़२लिखनी होगी याने जो जायदाद वोक़ुर्क़ करना चाहताहै उसको मुफ़स्सिल फ़िहरिस्त दाख़िलकरे ॥

दफ़ा (६६) ऐसी दरख़्वास्त अपीलकी मोआद गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ़ैसलेसे पहिले की क़ुर्क़ीके मुवाफ़िक़ डिगरीदार दरख़्वास्त पेशकरे तो अदालत मदयूनसे ज़मानत मांग सक्तीहै औरजोमद-यूनज़मानत दाख़िल न करेतो क़ुर्क़ी जायदाद मनक़ूला

(१) खेतीके औज़ार-यादूसरेऔज़ार जिनसे मदयून कमा कर खाताहै—

(२) मवेशी याने हलके बैल ॥

(३) हासिल और बीजकानाजऔरजो अदालत मुनासिब समझे कि हक़ीक़त में करसे के पास खानेकोन था औरदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी ग़ल्ला क़ुरक़ी से छुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख़्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख़्वाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) खात ॥

दफ़ा(७१) चूंकि शादीके वक्त हतक़के सिवाय मज़हबी रसममेंभी फ़तूर पड़ताहै इसलिये ऐसे मौक़े पर फ़ैसलेसे पहिलेकी क़ुरक़ी या इजराय डिगरीमें क़ुरक़ी न होसकेगी ॥

दफ़ा(७२)जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर क़ब्ज़ा दिला दिया जावेगा औरजो रहननामेमें नक़दरुपया वसूलहोनेकोशर्त्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकर हक़रसीकराईजायगी

दफ़ा (७६) कुलजायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकी क़ीमतका तख़मीनातय्यारकियाजावेगा औरजोतख़मीनेकेमुवाफ़िक़ क़ीमत नीलाम में नलगे तोजायदाद दुबारा नीलाम कीजावे और जो फिरभी ज़रूरतहो तो तीसरीदफ़े उस वक़्त जो आदमी ज़्यादह क़ीमत लगावे उसके नामपर बोली ख़तम कीजावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंज़ूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफ़ा (७७) जिसकीआख़ीर बोलीहो उससेनीलाम की चौथान उसीवक़्त भरालीजावे और फिर नीलाम की मंज़ूरी के लिये एक महीने की मिआद दीजायगी जो इस मिआद में मदयून डिगरी का रुपया अदा करदे तो नीलाम रद करदिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकन्नी रुपयेके हिसाबसे लिया जाताहै मदयून को देनापड़ेगा और ख़रीदार नीलाम ने जो चौथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥

दफ़ा (७८) इस मिआद के गुज़रने के बाद ख़रीदार नीलामको सार्टीफ़िकट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका क़ब्ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो दूसरेउज़रदार का

तादाद डिगरी	तादाद हवालात
जो डिगरी ५०) से ज़्यादहनहो	एक महीना
जो डिगरी१००) से ज़्यादहनहो	तीनमहीने
जो डिगरी२००) से ज़्यादहनहो	चारमहीने
दूसरे मुक़द्दमों में	छः महीने

जिसवक्त डिगरीदार हवालातकी दरख्वास्त पेश करे उसको दरख्वास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह से जिसकी तादाद ≡) आने रोज़से ज़्यादह न हो अदालतकी तजवीज़ के मुवाफ़िक एक महीने की ख़ूराक के दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले जो डिगरी ५०) से ज़्यादह की हो तो मुद्दईको ख़ूराक के दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिआद पूरीहोने पर मदयून छोड़दिया जावेगा॥

दफ़ा (८३) जब वारंटके साथमदयून जेलख़ानेमें भेजाजावे तो उसमें क़ैदकी मिआद लिखदेनी चाहिये और मदयूनसे जेलख़ानेमें कोई मेहनतका कामनहीं लिया जावेगा॥

दफ़ा (८४) मदयून उसीडिगरी के वास्ते दुबारा हवालातमें नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयून का हवालातमें जाना डिगरीदार की हक़रसी को मालकी

दफ़ा (८६) ख़र्चा इजराय डिगरी और ख़ूराक जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिम्मे डाला जायगा॥

उज़रदारीक़ुरक़ी

दफ़ा (६०) उज़रदारी क़ुरक़ीकी अर्ज़ी आठ आने केइस्टाम्पपर पेशहोगी औरउसमें साफ़लिखना चाहिये कि किसहक़्क़के सबबसे दरख्वास्त पेशकी जातीहै जो अदालतको दरख्वास्त बे बुनियाद मालूम नहो तोएक दिन उस के सुनने के लिये मुक़र्रर करेगी और जो तारीखमुक़र्रर करे उसकी इत्तिलअ डिगरीदार मदयून औरउज़रदार को दीजावेगी और उसकी तहक़ीक़ात ऐसेहीकीजावेगी जैसेमामूली नालिशकीइसमें उज़रदार मुद्दई और फ़रीक़ैन मुद्दआअलेह गरदाने जावेंगे-जो यहसाबित होजावे कि कुर्क़ कियाहुआ माल या जायदाद मदयूनको नहींहैतो कुर्क़ी उठादीजावेगी॥

दफ़ा (६१) जो यह साबित होजावे कि माल या जायदाद उज़रदार के पास गहने है तो उज़रदार मुर्तहिनको नीलामकेरुपयेमेंसे पहले गहनाभर कारुपया दिलाया जावेगा॥

दफ़ा (६२) उज़रदारी साबित होजावेतोउज़रदारी

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इख्तियार होगा कि फ़रीक़ैनको बग़ैर बुलाने के दरख्वास्त नामंज़ूर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख़ मुक़र्रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़द्दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामूली मुक़द्दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकीअदालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैसलेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महकमे ख़ासमेंजो अपीलहो उसकोमीआदफ़ैसलेकीतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़ज़ूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़द्दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (१०२) जो अदालतअपील अदालतमातहतके फ़ैसलेको रदकरे या घटावे बढ़ावे तो अखीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक़ल अदालत मातहतकोइत्तिलाअ के लियेभेजदे ॥

दफ़ा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील ज़ियादहतहक़ीक़ात याकिसी शकभरी हुई बात या नई तनक्रीह की तहक़ीक़ातकेलिये मुक़द्दमेको अदालत मातहत में पीछाभेजसक्तीहै ॥

दफ़ा(१०४)अदालत मातहत अदालत अपीलके हुक्मों की तामील करने के बाद मिसलको वापिस भेजदेगी और फ़रीक़ैनको फिर अदालत अपीलमेंहाज़िरहोनेकी हिदायत करेगी ॥

दफ़ा (१०५) जोअदालतअपीलमें फ़रीक़ैन मुक़द्दमा पंचों के सिपुर्द करने की दरख्वास्त करें या अदालतअपील इस बातको मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैनके मुक़र्रर किये हुये पंचोंके मुक़द्दमा सिपुर्दकिया जासक्ताहै—

दफ़ा (१०६)अदालत अपील वो अदालत मातहत केखर्चेकी तजवीज़ अदालत अपीलके हाथमें रहेगी—

मुतफ़र्क़ात ॥

दफ़ा (१०७) फ़रीक़ैन अपने आप या ऐसे वकील

फ़ैसलहों सदरदीवानी अ़दालतमें और वोअ़दालतमह-कमेख़ासमें भेजाकरे जो कोई मुक़द्दमा तीन महीने से ज़ियादह ज़ेरतजवीज़रहे तो जिसअ़दालतमेंऐसा मुक़द्दमाज़ेरतजवीज़होवोउसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरै॥

दफ़ा (११३) जब किसी अ़दालत दीवानीसे जागीरदारके मालकी कुर्की कीजावे तो उसमें अ़दालत मज़कूरको महकमे ख़ासको मंजूरी लेनी चाहिये॥

दफ़ा (११४) जब मुक़द्दमेकी तहक़ीक़ात होतेवक्त कोईजाली काग़ज़ पेशहो या किसी फ़रीक़ या गवाहको हलफ़ दरोग़ो अ़दालतमेंसाबितहोतोअ़दालतको इख्तियारहोगा कि जाली काग़ज़ पेश करनेवाले या हलफ़ दरोग़ो करनेवालेको अ़दालत फ़ौजदारीके सिपुर्द करदे और इसकी इत्तिलाअ़ महकमेख़ासमें करे॥

दफ़ा (११५) जोकिसीके लड़का न हो और दूसरा रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको महकमे ख़ाससे सार्टीफ़िकट विरासत हासिल करनाहोगा—

दफ़ा (११६) बग़ैर ऐसे सार्टीफ़िकटके कोई वारिस नराजसेकोई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उसकी ज़मीन और न उसकेलेन देनका दावा अ़दालत दीवानीमें करसकेगा— इति

(घ) अ़दालत सदरदीवानी—इसको यह इख्ति-यार दिया गयाहै कि ख़ास शाहपुरेके सारेमुक़द्दमे दीवानी दसरुपयेसे ज़ियादेके और परगनेफूलियाकेसारे मुक़द्दमे जो तहसीलदारों के इख्तियारसे बाहिरके हैं तीन हज़ार तकके सुनाकरे और कोतवाली वो तहसील दारोंके फ़ैसलेकी अपील भी यहही अ़दालत सुनेगी-और चूंकि काछोलाके सिवाय और सब ऊपर लिखी हुई अ़दालतें इसकी मातहत समझी जातीहैं उनकी सम्हाल इसके सिपुर्दकी जातीहै और मुक़द्दमोंकी कार्र-वाईकेलिये जोहिदायत जारीहों वोभी इस अ़दालतकी मारफ़त नीचेकी सब अ़दालतोंमें भेजीजायाकरें ॥

(च) महक्माख़ास—इस अ़दालतको इख्तियार है कि परगने काछोला के पांचसोरुपयेसे ज़ियादाके और परगने फूलियाके तीनहज़ारसे ज़ियादाके सब मुक़द्दमे दीवानी के सुनाकरे और काछोलाकी कचहरीके फ़ैस-लोंकी जो अपीलहों वो सब--औरपरगने फूलियामेंअ़-दालत सदरदीवानीके फ़ैसलेकी अपील यह अ़दालत सुने—और इस अ़दालतको यहभी इख्तियार होगा कि अगर किसी ग़ैर इलाक़ेवाले का कोई मुक़द्दमा या कोई ऐसा मुक़द्दमा जो अ़दालत सदर दीवानीके सुनने के

मीआदसे ख़ारिज समझी जातीहै परंतु डिगरीदार को यह इख़्तियार होताहै कि वह उस डिगरीको बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकरसोंपर बहुत भारी बोझ पड़ताहै क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का ख़र्चा दूसरी दफ़े देना पड़ताहै इसलिये यह क़ायदा अब रद्दकिया जाताहै और जो डिगरी मीआद से ख़ारिजहो उसकी बुनियादपर केवल उसी वक्त नयामुक़द्दमा सुनाजायगा कि जब मुद्दई मदयूनके इलाक़ेसे बाहर चलेजानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाईजावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अदालतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी दफ़ा नालिश करसकता है ॥

दफ़ा(४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इख़्तियार के अंदर वो सब मुक़द्दमे सुने वो फैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसीमुआहिदे या नुक़सान हक़परहो परंतु जो मुक़द्दमे भलमनूसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुयेंकी तो नहीं सुनेजांयगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसेमकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुख़्तारकी जोकोईहो--होनी चाहिये और उसमें नीचेलिखीहुई बातेंभी लिखीजानीचाहियें॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज़ात और रहनेकी जगह॥

(२) मुद्दआअलेह की निस्बत भी जहांतक मुम-किन वो मालूमहों येहीबातें लिखीजानी चाहियें॥

(३) नालिशका कारण और दावेकी तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना वसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि॥

(४) मक़द्दमेका ख़ुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हो और झगड़े की सूरत जो उस वक्तहो॥

(५) जो दस्तावेज़ें और हिसाब की नक़ल अरज़ी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़र्दभी दाखिल होनीचाहिये॥

दफ़ा (६) अरज़ीदावेकी तस्दीक़ इसतरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखाहै तस्दीक़करताहूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहै वो जहांतक मैंजानता वो यक़ीन करताहूं बिलकुलसचहै॥

दफ़ा (१०) अरज़ीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी राय में मुद्दईका

नाम बापका नामज़ात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाज़िरीका वक्तभी साफ़लिखाजावे॥

दफ़ा (१४) सम्मन या कैफ़ियत या काग़ज़ जो अदालतसे जारीहो उसको दो परत होनी चाहियें एक मुद्दआअलेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुद्दआअलेह या गवाहके जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाईके दस्तखतकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहियेसम्मन पर हाकिम के दस्तखत और अदालत की मोहर रियासतके दस्तूरमुवाफ़िक होनीचाहियें॥

दफ़ा (१५)जो बनेतोसम्मन मुद्दआअलेहकेही हाथ में दियाजावे जो मुद्दआअलेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिग़नहो॥

दफ़ा(१६)जो अदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्दआअलेहरियासतमेंमौजूदहै परन्तुसम्मनकेबचावकेलिये छिपगया और ढूंढ़नेसे पतानहीं मिला तोएक इत्तिलाअनामा ऐसीमीआदका जो पंद्रह दिनसे कम नहो उसके घरपर चिपकादे और उसमें यहहुक्मदेकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़द्दमा एकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी मुद्दआअलेह कचहरीमें नआवे तोअदालतकोसमझलेना

ख्वास्तदे जो दावा पचासरुपयेतक का हो तो ऐसीद-रख्वास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदाखिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे ज़ियादा काहो तोएकरुपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफ़ा(२०)जोमुद्दई हाज़िरहो और मुद्दआअलेह नहीं आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुक़द्दमाएकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा परंतु अदालत इसबातकोनिश्चय करले कि मुक़द्दमे के सुननेकी तारीखकी इत्तिलाअ मुद्दआअलेहको होगई अगरज़रूरतहोतो ऐसी डिगरी में मदयूनके उजरातपरइजरायडिगरीमें ग़ौरहोसक्ताहै॥

दफ़ा (२१)जो अदालत किसी कारणसे मुनासिब समझे तो मुक़द्दमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन मुक़र्रर करके मुद्दआअलेह को इत्तिलाअदेसक्ती है परंतु मुद्दईको भी उसहुक्म की इत्तिलाअ देनी चाहिये ॥

दफ़ा (२२) तारीख मुक़र्ररह पर जब फ़रीक़ैन हाज़िर होजावें तो अरजीदावा मुद्दआअलेह को पढ़कर सुनायाजावे और उससे हलफ़न पूछाजाय कि उसको मुद्दईके दावेसे इन्कार है या इक़बाल जो इक़बाल हो तो ज़ियादह तहक़ीक़ात करनेकी ज़रूरत नहीं सिर्फ़ दो

इनूकारी मुशकिल से साबित होताहै और यह आम बातहै कि जब कोई शख्स एकबात पेशकरे और दूसरा उससेइनकार करे तो अव्वल शख़्सपर कि जो फ़ैसला करानाचाहे उस अम्रका साबित करदेना लाज़िम है ॥

दफ़ा (२७) अम्रतनूक़ीहतलब क़रारदेने में अदालतको एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुक़द्दमे के बरख़िलाफ़ हो न होनेपावे लेकिन ऐसा मौक़ा ज़रूर देनाचाहिये कि जिससे मुक़द्दमे की असलियत व हक़ीक़त दरियाफ़्त करने में मदद मिले ॥

दफ़ा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से तअल्लुक़ रखता है वो मुक़द्दमा दायर होतेही शामिल मिसल होजाना चाहिये फिर बग़ैर अदालत के हुक्म के न लियाजावे और हरएक काग़ज़ पर जो मिसल में शामिलहो नम्बरऔर अनवान मुक़द्दमा और नाम उस फ़रीक़ का जिसने पेशकिया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तख़त होने चाहियें ॥

दफ़ा (२९) नीचे लिखीहुई दस्तावेज़ें बिला ख़ास हुक्म महक्मे ख़ासके सम्मतमें न लीजावें याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुनाजावे ॥

(१) जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी लाज़िमीहै और

दरजे के सबबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्द-आअ़लेह रियासत के नौकर हों वो अपने अफ्सर के मारफ़त बुलाये जांयगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक़ैन के गवाहों के इज़हार क़लमबंद होचुकें तो अ़दालत फ़रीक़ैन के पेशकिये हुये तहरीरी वो तक़रीरी सबूतका मुलाहिज़ा व ग़ौर करने के बाद मुक़द्दमेकाफ़ैसला लिखकर फ़रीक़ैनकोइत्तिलाअ़ देदे और जो फिर कोई बात दरियाफ़्त तलब बाक़ीरह-जावे तो उसके वास्ते दूसरी तारीख़ मुक़र्रर करदे ॥

दफ़ा(३४)जोअ़दालत मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैन कीदरख्वास्त पर या बिला उनकी दरख्वास्त के नीचे लिखीहुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह आदमियों को कमीशन मुक़र्रर करसक्ती है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर नहीं होसक्ते या जो हाज़िरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और अ़दालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्बत ख़ास या आ़मतौर पर हिदायत करसक्ती है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये चाहे उस में उनकीराय हस्ब मन्शायअ़दालत लीजावे या नहीं ॥

दफ़ा (३७) जो फ़रीक़ैन आपसमें फ़ैसलाकर के अदालतको इत्तिलानदें तो अदालतको इख़्तियारहोगा कि जिस फ़रीक़का क़ुसूरहो उसपर या दोनोंफ़रीक़पर पांच रुपये तक जुर्माना करसक्ती है॥

दफ़ा (३८) जो फ़रीक़ैन चाहै कि मुक़द्दमा एक या ज़ियादह पंचों को फ़ैसले के लिये सौंप दिया जाय तो फ़रीक़ैन से एक शख़्स या हरएक फ़रीक़ से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियाफ़्त करके उनसे इक़रारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फ़ैसला करदें वो उनको मंज़ूरवो क़बूलहोगा ऐसा इक़रारनामा दाख़िल होनेपर अदालत मुक़द्दमे को इक़रारनामेमें लिखीहुई शर्त्तोंकेमुवाफ़िक़ पंचोंकेसिपुर्दकरदे॥

दफ़ा (३९) पंचोंका फ़ैसलाअदालत काफ़ैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफ़रीक़ैनको मंज़ूर करनापड़ैगा॥

दफ़ा(४०)पंचोंका फ़ैसला अदालतमें दाख़िलहोनेके पीछेदशदिनकीमोहलतफ़रीक़ैन को इसवास्ते दीजावेगी कि जोकिसीफ़रीक़को किसीपंचकीबेईमानीज़ाहिरवोसाबितकरनीहो तोउसमोहलतमें करदेजबवोमीआदपूरीहोजावेकैफ़ियतपंचोंकीमंज़ूरकरकेमुक़द्दमाफ़ैसलकरदेना

दफ़ा (४५) हरएक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और ज़ात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुद्दई या मुद्दआअलेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्दई मुद्दआअ-लेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने को इजाज़त देनी चाहिये परंतु अदालत कोतजवीज़ करना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौक़े या फ़साद पैदाकरनेवाले सवाल करने की इजाज़त हरगिज़नहीं दीजावेगी ॥

दफ़ा (४६) फ़ैसले पर दस्तख़त हाकिम और तारीख़ होनी चाहियें और उस तजवीज़में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुक़द्दमा का इब्तिदाईहाल२-जो बातें तन्क़ीह तलब हों३—तन्क़ीह तलब का नतीजा मयख़ुलासे बयानकिसीख़ास गवाहके जिसकी ज़रूरतहो ४-तजवीज़ अदालत ॥

दफ़ा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का ख़ुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफ़ा (४८) दस्तख़त करने के पीछे हाकिम तज-

जो क़िस्तबंदीकी तजवीज़ हुई हो तो तारीख़ क़िस्तों की और तादाद हरएक क़िस्तके रुपयों की दर्जहोनीचाहिये—और तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुद्दआअ़लेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़सील लिखदेनी चाहिये कि वो ख़रचा किससे वसूल कियाजावेगा॥

दफ़ा (५१) हरएक सूरत में तजवीज़ ख़रचे की अ़दालतही करेगी॥

दफ़ा (५२) जो कोई मुद्दई ग़ैर इलाक़े का रहने वाला हो तो मुक़द्दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत ख़रचे मुद्दआअ़लेह की दाख़िल कराना ज़रूरहै॥

दफ़ा (५३) मुद्दई मुद्दआअ़लेहको अख़ीर तजवीज़ से रूबरू इत्तिलाअ़देनी चाहिये—और जो ज़रूरतसमझी जावे तो एक इत्तिलाअ़नामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तख़तइत्तिलाअ़पाई फ़रीक़ैन के करालिये जावें॥

दफ़ा (५४) जब मुक़द्दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख़्वास्त किसी मुद्दई मुद्दआअ़लेह की पेश होने पर अ़दालत को नक़ल किसी काग़ज़ की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अख़ीर को इस शर्त्त पर कि फ़ीस लिखाई जो मुक़र्ररहै दाख़िल करदीजावे देनी होगी॥

करदे-और जो मुद्दआअलेह ज़मानत नदे तो जो जायदाद मुद्दआअलेह की मुद्दई बतलावे वो अख़ीर हुक्म होने तक क़ुर्क़ करदीजावे ॥

दफ़ा (५७) जो ऐसे फ़ैसले से पहलेकी क़ुर्क़ी में मुद्दई मुद्दआअलेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे मुवाफ़िक़ इतमीनान करनेके बाद अदालतको उन आदमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुद्दआअलेह का रुपया बाक़ी होना ज़ाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसमज़मूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन हो वो रुपया मुद्दआअलेहको नदे ॥

दफ़ा (५८) जो मुद्दई अदालतके सामने हलफ़नबयानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्दआअलेह भागना चाहता है तो अदालत मुद्दआअलेहसे हाज़िर ज़मानतमांगे और जो मुद्दआअलेह न दे तो मुक़द्दमा फ़ैसल होने तक मुद्दआअलेह हवालात दीवानी में रक्खा जावे ॥

दफ़ा (५९) जो मुद्दआअलेह इसतरह हवालात में रक्खाजावेगा उसको ख़ूराक मुद्दईसे ली जावेगी और मुक़द्दमा फ़ैसल होनेपर इसका बोझ उस फ़रीक़ पर रहैगा जिसके ज़िम्मे ख़रचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा ख़ारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक़्त उसके पास कोई जायदाद मिले॥

दफ़ा (६४) जो मुक़द्दमा मुद्दईकी अदमपैरवीकेसबब से ख़ारिज होजावे तो मुक़द्दमेका ख़रचा मुद्दईसे जिस-वक़्त उसको हैसियत हो या उसको कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फ़ैसला होजाने के सबबसे मुक़द्दमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फ़ीस मुक़र्ररा फ़ौरन् मुद्दईसे वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफ़ा(६५)इजराय डिगरीकी दरख़्वास्तउसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख़्वास्तकेसाथ डिगरी को नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख़्वास्तमें दरख़्वास्त देनेवालेको हक़रसीकी सूरत साफ़२लिखनी होगी याने जो जायदाद वोक़ुर्क़ करना चाहताहै उसकी मुफ़स्सिल फ़हरिस्त दाख़िलकरे॥

दफ़ा (६६) ऐसी दरख़्वास्त अपीलकी मोआद गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ़ैसलेसे पहिले की क़ुर्क़ीके मुवाफ़िक़ डिगरीदार दरख़्वास्त पेशकरे तो अदालत मदयूनसे ज़मानत मांग सक्तीहै औरजोमद-यूनज़मानत दाख़िल न करेतो क़ुर्क़ी जायदाद मनक़ूला

(१)खेतीके औज़ार-यादूसरेऔज़ार जिनसे मदयून कमा कर खाताहै—

(२) मवेशी याने हलके बैल ॥

(३)हासिल और बीजकानाजऔरजो अदालत मुनासिब समझे कि हक़ीक़त में करसे के पास खानेकोन था औरदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी ग़ल्ला क़ुरक़ी से छुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख्वाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) ख़ात ॥

दफ़ा(७१) चूंकि शादीके वक्त हतक़के सिवाय मज़हबी रसममेंभी फ़तूर पड़ताहै इसलिये ऐसे मौक़े पर फ़ैसलेसे पहिलेकी क़ुरक़ी या इजराय डिगरीमें क़ुरक़ी न होसकेगी ॥

दफ़ा(७२)जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर क़ब्ज़ा दिला दिया जावेगा औरजो रहननामेमें नक़दरुपया वसूलहोनेकोशर्त्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकर हक़रसीकराईजायगी

दफ़ा (७६) कुलजायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकी क़ीमतका तख़मीनातय्यारकियाजावेगा औरजोतख़मीनेकेमुवाफ़िक़ क़ीमत नीलाम में नलगे तोजायदाद दुबारा नीलाम कीजावे और जो फ़िरभी ज़रूरतहो तो तीसरीदफ़े उस वक़्त जो आदमी ज़्यादह क़ीमत लगावे उसके नामपर बोली ख़तम कीजावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अ़दालत मंज़ूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफ़ा (७७) जिसकीआख़ीर बोलीहो उससेनीलाम की चौथान उसीवक़्त भरालीजावे और फिर नीलाम की मंज़ूरी के लिये एक महीने की मिआ़द दीजायगी जो इस मिआ़द में मदयून डिगरी का रुपया अदा करदे तो नीलाम रद करदिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकन्नी रुपयेके हिसाबसे लिया जाताहै मदयून को देनापड़ेगा और ख़रीदार नीलामने जो चौथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥

दफ़ा (७८) इस मिआ़द के गुज़रने के बाद ख़रीदार नीलामको सार्टीफ़िकट नीलाम अ़दालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका क़ब्ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो दूसरेउज़रदार का

तादाद डिगरी	तादाद हवालात
जो डिगरी ५०) से ज़्यादहनहो	एक महीना
जो डिगरी१००) से ज़्यादहनहो	तीनमहीने
जो डिगरी२००) से ज़्यादहनहो	चारमहीने
दूसरे मुक़द्दमों में	छः महीने

जिसवक़्त डिगरीदार हवालातकी दरख़्वास्त पेश करे उसको दरख़्वास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह से जिसकी तादाद ≡) आने रोज़से ज़्यादह न हो अदालतकी तजवीज़ के मुवाफ़िक एक महीने की ख़ूराक के दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले जो डिगरी ५०) से ज़्यादह की हो तो मुद्दईको ख़ूराक के दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिआद पूरीहोने पर मदयून छोड़दिया जावेगा॥

दफ़ा (८३) जब वारंटके साथमदयून जेलख़ानेमें भेजाजावे तो उसमें क़ैदकी मिआद लिखदेनी चाहिये और मदयूनसे जेलख़ानेनेमें कोई मेहनतका कामनहीं लिया जावेगा॥

दफ़ा (८४) मदयून उसीडिगरी के वास्ते दुबारा हवालातमें नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयून का हवालातमें जाना डिगरीदार की हक़रसी की मालकी

दफ़ा (८६) ख़रचा इजराय डिगरी और ख़ूराक़ जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिम्मे डाला जायगा ॥

उज़्रदारीक़ुरक़ी

दफ़ा (६०) उज़्रदारी क़ुरक़ीकी अर्ज़ी आठ आने केइस्टाम्पपर पेशहोगी औरउसमें साफ़लिखना चाहिये कि किसहक़के सबबसे दरख़्वास्त पेशकी जातीहै जो अदालतको दरख़्वास्त बे बुनियाद मालूम नहो तोएक दिन उस के सुनने के लिये मुक़र्रर करेगी और जो तारीखमुक़र्ररकरे उसकी इत्तिलअ डिगरीदार मदयून औरउज़्रदार को दीजावेगी और उसकी तहक़ीक़ात ऐसेहीकीजावेगी जैसेमामूली नालिशकीइसमें उज़्रदार मुद्दई और फ़रीक़ैन मुद्दआअलेह गरदाने जावेंगे-जो यहसाबित होजावे कि कुर्क़ कियाहुआ माल या जायदाद मदयूनकी नहींहैतो कुर्क़ी उठादीजावेगी ॥

दफ़ा (६१) जो यह साबित होजावे कि माल या जायदाद उज़्रदार के पास गहने है तो उज़्रदार मुरतहिनको नीलामकेरुपयेमेंसे पहले गहनाभर कारुपया दिलाया जावेगा ॥

दफ़ा (६२) उज़्रदारी साबित होजावेतोउज़्रदारी

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इख्तियार होगा कि फ़री-क़ैनको बग़ैर बुलाने के दरख्वास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख़ मुक़र्रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़द्दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामूली मुक़द्दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकीअ-दालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैस-लेसें अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महकमे ख़ासमेंजो अपीलहो उसकीमीआदफ़ैसलेकोतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायंगे॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़ज़ूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़द्दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (१०२) जो अदालतअपील अदालतमातहतके फ़ैसलेको रदकरे या घटावे बढ़ावे तो अख़ीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक़ल अदालत मातहतकोइत्तिलाअ के लियेभेजदे॥

दफ़ा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील ज़ियादहतहक़ीक़ात याकिसी शकभरी हुई बात या नई तन्क़ीह की तहक़ीक़ातकेलिये मुक़द्दमेको अदालत मातहत में पीछाभेजसक्तीहै॥

दफ़ा(१०४)अदालत मातहत अदालत अपीलके हुक्मों की तामील करने के बाद मिसलको वापिस भेजदेगी और फ़रीक़ैनको फिर अदालत अपीलमेंहाज़िरहोनेकी हिदायत करेगी॥

दफ़ा (१०५) जोअदालतअपीलमें फ़रीक़ैन मुक़द्दमा पंचों के सिपुर्द करने की दरख्वास्त करें या अदालत अपील इस बातको मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैनके मुक़र्रर किये हुये पंचोंके मुक़द्दमा सिपुर्दकिया जासक्ताहै—

दफ़ा (१०६)अदालत अपील वो अदालत मातहत केख़र्चेकी तजवीज़ अदालत अपीलके हाथमें रहेगी—

मुतफ़र्क़ात॥

दफ़ा (१०७) फ़रीक़ैन अपने आप या ऐसे वकील

फ़ैसलहों सदरदीवानी अदालतमें और वोअदालतमह-
कमेख़ासमें भेजाकरे जो कोई मुक़द्दमा तीन महीने से
ज़ियादह ज़ेरतजवीज़रहे तो जिसअदालतमेंऐसा मुक़द्द
माज़ेरतजवीज़होवोउसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरे॥

दफ़ा (११३) जब किसी अदालत दीवानीसे जा-
गीरदारके मालकी कुर्क़ी कीजावे तो उसमें अदालत
मज़कूरको महकमे ख़ासकी मंजूरी लेनी चाहिये ॥

दफ़ा (११४) जब मुक़द्दमेकी तहक़ीक़ात होतेवक्त
कोईजाली काग़ज़ पेशहो या किसी फ़रीक़ या गवाहको
हलफ़ दरोग़ी अदालतमेंसाबितहोतोअदालतको इख्ति-
यारहोगा कि जाली काग़ज़ पेश करनेवाले या हलफ़
दरोग़ी करनेवालेको अदालत फ़ौजदारीके सिपुर्द करदे
और इसकी इत्तिलाअ महकमेख़ासमें करे ॥

दफ़ा(११५)जोकिसीके लड़का न हो और दूसरा
रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको महकमे
ख़ाससे सार्टीफ़िकट विरासत हासिल करनाहोगा—

दफ़ा (११६)बग़ैर ऐसे सार्टीफ़िकटके कोई वारिस
नराजसेकोई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस
की ज़मीन और न उसकेलेन देनका दावा अदालत दी-
वानीमें करसकेगा—— इति

दफ़ा (२)–महक्मे ख़ास को इख़्तियार होगा कि जिस ओहदेदार सरकारी को मुनासिब समझेतहसीलातमें अफ़सर रजस्टरी मुक़र्रर करदे और ऐसाओहदेदार सब रजिस्टरार कहलावेगा ॥

दफ़ा (३)–महक्मे ख़ास वो हर सब रजिस्टरार के दफ़्तर में एक मोहर रजिस्टरी को अलग रहेगी ॥

दफ़ा (४)–महक्मे ख़ासको इख़्तियारात जनरल रजिस्टरार के हासिल रहेंगे और जिस क़दर हिदायत जारी हो वो महक्मे मौसूफ़से हुआ करेंगी ॥

दफ़ा (५)–सब रजिस्टरार वो उनके इख़्तियारात नीचे लिखे मुवाफ़िक़ मुक़र्रर कियेजातेहैं और आयंदा घटाने बढ़ाने का इख़्तियार महक्मे ख़ासको है ॥

नाम सब रजिस्टरार	इख़्तियारात
तहसीलदार फूलिया	सौरुपये की दस्तावेज़ तककी रजिस्टरी करसक्ताहै ॥
तहसील दारढ़ीकोला	तथा तथा ....
तहसीलदारसांगरियावोकोठिया	तथा तथा ....
तहसीलदारधनोपवोकन्हेछरा	तथा तथा ....
तहसीलदार आमली	तथा तथा ....

क़ाबिला करलिया जावे और जिस वक्त़ दीजावे लेने-वालेके दस्तख़त करलिये जावें और रजिस्टरी के रजस्टर हर वर्ष बदलेजावें और पुराने रजस्टर सब रजिस्टरारों के दफ़्तर से जनरल रजिस्टरारके दफ़्तर में आजाने चाहिये ॥

दफ़ा (१०)—जिस किसी जगह दस्तावेज़ मशकूक याने कोई लफ़्ज़ काटा वा बिगड़ा हुआ हो तोनक़ल में दिखला दिया जावे—और उस दस्तावेज़के ऐसी जगह पर रजिस्टरारके दस्तख़तभी होनाचाहिये॥

दफ़ा (११)—जिस वक्त़ दस्तावेज़ रजिस्टरी के वास्ते पेशहो उसकी पुश्तपर तारीख़ वो वक्त़ पेशी का और नाम पेशकरनेवाले का दर्ज होना चाहिये ॥

दफ़ा (१२) जिसवक्त़ दस्तावेज़ ओहदेदार रजि-स्टरीके पासपेशहो चाहे उसको रजिस्टरी—इख़्तियारी हो—या लाज़िमी— वो आदमी या कईआदमी जिन-की तरफ़से दस्तावेज़ लिखीगई हो या उसके या उन के क़ायम मुक़ाम जायज़ या मुख़्तार मजाज़ ओहदेदार रजिस्टरी करने वालेके रूबरू हाज़िरहोने चाहिये उस वक्त़ ओहदेदार रजिस्टरी को मुआफ़िक़ लिखे नीचे के काररवाई करनाचाहिये ॥

कि जिनको ओहदेदार रजिस्टरी जानताहै पहिचान लिया फिरइसके बादपुश्त दस्तावेज़पर—तादाद फ़ीस व नम्बर सफ़े रजिस्टर कि जिसमें उस दस्तावेज़ की नक़ल की गईहोसाफ़ दरजहोना चाहिये॥

दफ़ा (१४)— हरएक दस्तावेज़की किजोरजिस्टरी के वास्तेपेशहोना लाज़िम है दस्तावेज़ के लिखे जानेकी तारीख़से दोमहीनेके अंदर रजिस्टरी होना चाहिये जो अंदर इस मिआद के दस्तावेज़ किसीसबब से पेशनहो— और उसके बादफिरचा महीनेके अन्दर पेशहो तो ओहदेदार रजिस्टरी उसकी रजिस्टरी करदेगा परंतुइस पिछली सूरतमेंफ़ीस रजिस्टरी की दूनी लीजावेगी और जो कोई वजह माक़ूल पेशहोतो तावान नलिया जावेगा॥

दफ़ा (१५)— जो दस्तावेज़ लिखनेवालाउसको पेशनकरे तो जिसके हक़में वो दस्तावेज़ लिखीगईहै वह पेशकरनेका इख़्तियार रखताहै और जो वो मामूली तलबाना दाख़िल करदेतो दस्तावेज़ लिखने वाला या लिखने वालेजैसी कि सूरतहो बुलाकरके काररवाई रजिस्टरी कीजायगी॥

होतीहै इसलिये नीचेलिखी हुईसूरतों में उनका इन्तक़ाल हो सक्ताहै और रजिस्टरी भी की जासक्ती है॥

(१) जबकिएकही ख़ानदानमें कि जिसके मूरिसको असलमें ज़मीन डोहली या माफ़ीमें दीगई हो एकआदमी दूसरेकेहाथ अपनाहिस्सारहन भोगलाऊ या बै करे-

(२) — जबकि किसीआम फ़ायदे केकामकेलिये डोहली या माफ़ीकी ज़मीन ख़रीदकी जावेया रहनरक्खी जावेतोभी जायज़ तसव्वर की जायगी बशर्ते कि मज़हबका लिहाज़भी उसमेंरहै याने हिन्दूकी ज़मीनकिसी मुसलमानकेहाथ मसजिद वग़ैरहके फ़ायदेके लियेबैया रहननकी जावेगीऔरन इसीतरहमुसलमान की ज़मीन हिन्दूके हाथ॥

(३)— डोहली यामुआफ़ी की ज़मीन मकफूलहो सक्तीहै या बरस क़टीमें रहन होसक्ती है बशर्ते कि डोहलीया या माफ़ीदार उसको किसीऐसी बड़ीज़रूरत के वक्त करे कि जिससे ख़ानदानको बट्टालगे या मज़हबी ज़रूरी काम करनेमें फ़तूर पड़ताहो परंतुइसमें यह शरत हमेशहसमझी जावेगी किजिसवक्त उसज़मीन से गिरवीसे दूनारुपया मुनाफ़े से मुरतहिनको वसूल होजावे उस वक्त गिरवी रखने वालेया उसको औलाद

दफ़ा(२२)जिन दस्तावेज़ात कीरजिस्टरी होनीलाज़िमहै वोनीचे लिखीजातीहैं॥

(१) रहननामा वो कि फ़ालतनामा वो दस्तावेज़ बरसकटी बाबत जायदाद ग़ैर मन्क़ूला॥

(२)—बैनामाबाबत जायदाद ग़ैरमन्क़ूला॥

(३)—हिबहनामा चाहे जायदाद मन्क़ूला काहो या ग़ैरमन्क़ूलाका॥

(४)मुख़तार नामाआम॥

(५)दस्तावेज़ ठेकाजोपांच सालसे ज़ायदके वास्ते किसीरय्यत कीतरफ़सेहो॥

(६) फ़ारख़ती॥

(७)—तबनियत नामा याने गोदका काग़ज़॥

(८) तक़सीमनामा बाबतजायदाद मनक़ूला याग़ैरमनक़ूला॥

दफ़ा (२३) यहांरजिस्टरी के क़ायदे सम्बत १९३० से जारी हैं इसलिये सम्बत १९३० या उसके बाद की दस्तावेज़ बिना रजिस्टरी ऐसी पेशहोकि जिसकी रजिस्टरी लाज़िमी थी तौ उसकी निस्बत काररवाई बमूजिब दफ़ा (२४) की जावेगी॥

दफ़ा (२४) जिन दस्तावेज़ात की रजिस्टरी इन

ज़मीमा नम्बर ४ फ़ीसदस्तावेज़रजिस्टरी ॥

क़िस्मदस्तावेज़	जो तादादनीचे लिखी से ज़ियादहहो	जोतादादनीचेलिखीसे ज़ियादहनहो	तादादफ़ीस रजिस्टरी
रेहन नामा वा किफ़ालतनामा बाबत जायदाद ग़ैरमन्क़ूला	+	२५)	।)
	२५)	५०)	॥)
	५०)	७५)	।॥)
	७५)	१००)	१)
	१००)	१२५)	१।)
	१२५)	१५०)	१॥)
	१५०)	१७५)	१।॥)
	१७५)	२००)	२)
	२००)	२२५)	२।)
	२२५)	२५०)	२॥)
	२५०)	२७५)	२।॥)
	२७५)	३००)	३)
	३००)	३२५)	३।)
	३२५)	३५०)	३॥)
	३५०)	३७५)	३।॥)
	३७५)	४००)	४)
	४००)	४२५)	४।)
	४२५)	४५०)	४॥)
	४५०)	४७५)	४।॥)
	४७५)	५००)	५)

क़िस्मदस्तावेज़	जो तादादनीचे लिखी से ज़ियादहहो	जो तादाद नीचेलिखीसे ज़ियादह नहो	तादादफ़ीस रजिस्टरी
	३००)	३२५)	१६।)
	३२५)	३५०)	१७॥)
	३५०)	३७५)	१८।।।)
	३७५)	४००)	२०)
	४००)	४२५)	२१।)
	४२५)	४५०)	२२॥)
	४५०)	४७५)	२३।।।)
	४७५)	५००)	२५)
	५००)	५५०)	२७॥)
	५५०)	६००)	३०)
	६००)	६५०)	३२॥)
	६५०)	७००)	३५)
	७००)	७५०)	३७॥)
	७५०)	८००)	४०)
	८००)	८५०)	४२॥)
	८५०)	९००)	४५)
	९००)	९५०)	४७॥)
	९५०)	१०००)	५०)
आयंदाफ़ीसैकड़ेयाउसकेहिस्सेपर दशहज़ारतक			५)
दशहज़ारसेज़ियादह कीदस्तावेज़मेंफ़ी			

कोई उज़र उस जायदाद की निस्बत नहीं सुनाजायगा मगर नम्बरी दावा उसका होसक्ता है ॥

दफ़ा (७९) यहां पेशकसी अक्सर मकान या खेती की ज़मीन पर लगती है इसलिये नीलाम के वक्त नीलाम करनेवाले अहल्कार को यह बात ज़ाहिर करदेनी होगी किजो हक़राजका उसजायदादमेंहै वोबदस्तूर बनारहेगा और उसका ज़िम्मेदार ख़रीदार होगा ॥

दफ़ा (८०) जो फ़रीक़ैन के आपसमें फ़ैसला होजावे तो इजरायडिगरी की कारंवाई फ़ौरन बंदकरदी जायगी और मुक़द्दमा रजिस्टर से ख़ारिजकरके दाख़िल दफ़्तर कियाजावेगा ॥

दफ़ा (८१) जो डिगरीदार मदयूनको हवालात में भेजने की दरख्वास्त पेशकरे तो उसकी मंज़ूरी महकमे ख़ाससे लेनीहोगी और यह मंज़ूरी उसी हालत में दी जावेगी कि जब यह साबित कियाजावे कि मदयून अपनी जायदाद को छिपाना चाहता है या डिगरीका रुपया इरादतन् देना नहीं चाहता ॥

दफ़ा (८२) हवालातकी दरख्वास्त मंज़ूरहोनेकी हालतमें मदयून नीचेलिखी हुई शरहके मुवाफ़िक़ हवालात में रहसक्ता है ॥

क़ुर्क़ीके ज़रियेसे नहीं रोकेगा जो डिगरी पच्चीस रुपयेसे कमकी नहो जो डिगरी इससे कमकीहो और अदालत मुनासिब समझे तो मदयून को आयन्दा की जवाब दही से बरी करसक्ती है ॥

दफ़ा (८५) मदयूनकेमरजानेसेउसके वारिस जवाबदही डिगरीसे बरी न समझे जावेंगे—

दफ़ा (८६) जोडिगरीदार मरजावे तो डिगरी बदस्तूरजारी रहेगी बशर्त्ते कि उसका वारिस पंदरह दिनके अन्दर दरख़्वास्त क़ायम मुक़ामी पेशकरदे जो ऐसी दरख़्वास्त पेशनहो तो मुक़द्दमा इजराय डिगरी ख़ारिज करदिया जावेगा परंतु आयन्दा वारिस डिगरीको फिर जारीकरासक्ता है ॥

दफ़ा (८७) चूंकि इजरायमें सिर्फ़ असली हुक्म डिगरीकीतामीलहोतीहै इजरायमें नया फ़ैसला करनेकेलिये मुक़द्दमा सुपुर्द पंचायत नहींहो सक्ता॥

दफ़ा (८८) इजराय डिगरीमें जो दरख़्वास्त क़ुरक़ीमालया जायदाद की जावेतोतलबाना उसीशरहसे लियाजायगाकि जैसे मामूली लिया जाताहै परंतु जो दरख़्वास्त हवालातकी कीजावे तो तलबाना मामूल से दूना देनाहोगा ॥

का ख़र्चा जो अदालत मुनासिब समझे डिगरीदार से दिलाया जावे और जो साबित न हो तो ख़र्चा फ़रीक़सानी उज़ुरदारसे दिलाया जावेगा॥

नज़रसानीफ़ैसला

दफ़ा (६३) अदालत दर्ख्वास्त नज़रसानी आठ आनेके इस्टाम्पपर लेसक्ती है बशर्तें कि अपील उस तजवीज़का दायर न हुआहो औरवो दर्ख्वास्त फ़ैसले की तारीख़से तीन महीनेके भीतर गुज़रजाय और उसकी बुनियाद इसतरहपर हो॥

(१) कोईनयासुबूत बावजूद पूरी कोशिशके मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात के वक्त न मिलाहो और पीछेसे निकल आवे॥

(२) जोकोई बड़ी बेज़ाब्तगीहुईहो या मुक़द्दमेकी असली बातोंके समझनेमें ग़लती होनेकेसबबसे फ़ैसले में रिआयत होगई हो॥

(३) जो और किसी सबबसे अदालत दर्ख्वास्त नज़रसानी लेना मुनासिब समझे॥

ऐसीदर्ख्वास्त सिर्फ़ वोही हाकिम लेसक्ताहै जिसने पहिले हुक्मदियाहो उसकी जगह आनेवालाहाकिम नहीं॥

लिखनी चाहियें औरयहभी कि इतनेफ़ैसलेमें उज़ुरहैं अपील की वजूहात के नम्बर लगाने चाहियें और एक उज़ुर दुबारानहीं लिखना चाहिये और जहांतकहोसके वजूहात मुख्तसिर हों अपील की अर्ज़ी के साथ उस अखीरफ़ैसले या हुक्मकी नक़लपेश करनी चाहिये जिस का अपील कियाजाय॥

दफ़ा (९९) जिस मुक़द्दमे में नज़रसानी होजाय बसूरत नामंज़ूरी नज़रसानी के असली फ़ैसलेका अपीलनहोसकेगा और जो नज़रसानी मंज़ूरहुईहो तोदूसरे फ़रीक़को इख़्तियारहासिलहोगा औरअपीलकीमीआदनज़रसानी के फ़ैसले की तारीख़ से गिनीजायेगी —

दफ़ा(१००)दरख़्वास्त अपील बग़ैर देखने मिसल अदालतमातहतके ख़ारिजनकी जावेगी परंतु जोअपील कीवजूहात काफ़ीनहों तो बग़ैर बुलानेफ़रीक़ैन मुक़द्दमा के अपील दाख़िलदफ़्तर किया जासक्ताहै॥

दफ़ा(१०१)जोअपीलकी वजूहात मुनासिबमालूम हों तो उसके सुननेके लिये एकदिन मुक़र्ररकियाजायगा औरज़ाब्तेकेमुवाफ़िक़ उसकीइत्तिलाअ़ फ़रीक़ैनकोदीजावेगी और फ़रीक़ैन के उज़रात और वजूहात पर ग़ौर कियाजावेगा॥

की मारफ़त हाज़िर अदालत होसक्तेहैं जिसको पूरा इ-ख़्तियार दियागयाहो——

दफ़ा (१०८) हरएक मुख़्तार उस अदालत के अफ़सर का मातहत रहेगा जहां वो वकालत करता है और उन क़ायदोंकापाबंदहोगा जो समय २ पर उसअ-दालतसेज़ारीहों ॥

दफ़ा (१०६)किसी नाबालिग़ या पागलकी तरफ़ से या उनपर कोई नालिश नहीं सुनी जायगी और जो किसी मुक़द्दमे में ऐसा फ़रीक़हो तो उसके क़रीब रिश्ते दार या वली को उसमुक़द्दमेकी जवाबदहीकेलियेज़रूर उसके शामिल रखना चाहिये——

दफ़ा (११०) जो क़र्ज़ लेनेवालेका कोई ज़ामिन हो तो मुद्दईको इख़्तियारहोगा कि वो दोनोंपर दावा करे और जोडिगरीहोजाय तो उनमें से जिससे चाहै एकसे रुपया वसूल करे या दोनों से ॥

दफ़ा(१११)जोकिसी मुक़द्दमे में कईमुद्दआअलेहहोंतो डिगरीदारको इख़्तियारहोगा किचाहे सबसेअपनारुपया वसूलकरे या किसीएकसेजिसको वो मोतबिर समझे ॥

दफ़ा (११२) कोतवाल वो तहसीलदार हरमही-ने एक नक़शा उनमुक़द्दमोंका जो उनके यहां दायर वो

ज़ाब्तेदीवानी

रियासत शाहपुरा

मुरत्तिबे

बाबूरामजीवन कामदार रियासतशाहपुरा
हस्बुलहुक्म वो मंज़ूरी राजाधिराज
श्री नाहरसिंह जी साहब
रईस शाहपुरा

लखनऊ

मुंशीनवलकिशोर के छापेख़ाने में छपा

अक्टूबर सन् १८८७ ई० ॥

ज़ाब्तेदीवानी रियासत शाहपुरा



दफ़ा (१) इस रियासतमें दरजे हाय अदालत नीचेलिखे मुवाफ़िक़ हैं और उनके इख़्तियारात हरएक के सामने लिखदिये गयेहैं ॥

(क) अदालत कोतवाली—इसको यह इख़्तियार दियागयाहै कि ख़ास शाहपुरे के सारे मुक़द्दमे जिनमें दावा दस रुपये से ज़ियादा नहो सुनाकरे ॥

(ख) अदालत तहसीलदारान—इनको यहइख़्तियार दियागयाहै कि अपने अपने हलक़ेमें दीवानीके सारेमुक़द्दमे जिनमें दावा सौ रुपयेसे ज़ियादाका न हो सुनाकरें ॥

(ग) अदालत हाकिमकाछोला—इसको इख़्तियार दिया गयाहै कि अपनेहलक़ेकेसारेदीवानीकेमुक़द्दमे और वो मुक़द्दमे कि जिनमें मुद्दई मेवाड़ या ग़ैरइलाक़े का हो और जिनमें दावा पांचसौ रुपये से ज़ियादे का न हो सुनाकरे ॥

लायक़हो इस अदालत में पेशहोजाये तो उसको सुन कर फैसला करदे और ऊपरलिखी हुई सब अदालतों की सम्हाल इसके ज़िम्मे होगी और मुक़द्दमे की कार्रवाईके लिये जो हिदायतें जारीहों वो यहांसे या इस अदालतकी मंजूरीसे हुआ करेंगी॥

दफ़ा (२) इस रियासतमें दीवानीके मुक़द्दमे तीन सूरतों में सुने जासकतेहैं॥

(१) जबकि लेनदेन इलाक़े शाहपुरेकाहो या दावेकी बुनियाद इस रियासत के इलाक़ेमें पैदाहुई हो॥

(२) जब कि मुद्दआअलेहको कोई जायदाद ग़ैर मन्क़ूला या उगाही इस इलाक़े में हो॥

(३) जबकि मुद्दआअलेहरोटीपैदा करनेकेलिये रहता हो और इस इलाक़े में नौकरी वा व्योपार करताहो॥

दफ़ा (३) जोमुक़द्दमा एकदफे सुना जाकर फ़ैसल होचुका वो उसी बुनियाद पर दूसरी दफ़े नहीं सुनाजायगा मगर जो किसी अदालत ने पहले मुद्दईकोदूसरीदफ़े दावालगानेकी परवानगीदेदीहो तो यह दफ़े उसको न रोकेगी॥

(नोट) इसरियासतमें अब तक यह क़ायदा जारी है कि जो तीन बरसतक कोई डिगरी जारी नहो तो वो

दियागयाहो तो नहीं सुनाजायगा दूसरे रियासत के पोलिटिकल कार्रवाईमें भी अदालत दीवानी हाथ नहीं डालसक्ती जैसे जो कोई जागीर ज़ब्त करलीजाय या बदलदीजाय तो उसका दावा दीवानीमें नहीं होसक्ता तीसरे जो मुक़द्दमे मालकी कचहरीसे फ़ैसलहोनेचाहियें वो दीवानी में नहीं सुनेजायंगे॥

दफ़ा (५) मुद्दईको इख़्तियारहै कि अपने दावेका कुछ हिस्सा छोड़दे परंतु ऐसे छोड़े हुये हिस्से की फिर नालिश नहीं सुनी जायगी॥

दफ़ा (६) जो किसी क़रज़े में किश्तेंबंधगईहों तो मुद्दई को इख़्तियार है कि चाहे अपने सारे रुपये का दावा दस्तावेज़ की शर्त मुवाफ़िक़करे या केवल चढ़ी हुई किश्तोंका इस पिछलीसूरतमें जो किश्तें पीछेसेचढ़ें उनके दावे को दफ़े (३) नहीं रोकेगी॥

दफ़ा (७) जो दावा इस्टामके काग़ज़पर मुद्दई या उसके पूरा इख़्तियार रखनेवाले मुख़्तार की तरफ़ से ऐसी अदालतमें जो उसदावेके सुनने का इख़्तियार रखती हो नीचेलिखी हुई सूरतोंमें पेश किया जाये तो उसकी कार्रवाईशुरू की जावेगी॥

दफ़ा (८) अरज़ीदावेपर दस्तख़त और तस्दीक़

बयान लिखना मुनासिबहोतोलिखले परंतु जो अरज़ी दावेकी तसदीक़कीगई हो और उसमें सारी बातें लिखी हुईहोंतो शायद मुद्दई का बयान लिखनेकी ज़रूरतनहीं होगी और ऐसीहालत में पहले सरिश्तेसे रिपोर्टमांगी जायेकि इस्टाम और अरज़ी दावेमें लिखीहुई सारीबातें ठीकहैं या नहीं ॥

दफ़ा (११) जो अरज़ीदावा ठीकहो और उसमें नालिशकी बुनियाद पक्कीपाईजावे तो मुक़द्दमे के सुनने के लिये एकदिन मुक़र्रर कियाजावे और वो गवाहजिनके नाममुद्दई लिखावे सम्मनया जाब्तेका काग़ज़जारी करके बुलायेजावें ॥

दफ़ा (१२) जो मुद्दआअलेह बड़े दरजेका आदमी हो तो कैफ़ियत या काग़ज़ भेजकर बुलाया जावे नहींतो सम्मनभेजाजावे और अरज़ीदावेकी एक नक़ल उसको सम्मन के साथदीजावे जो मुद्दआअलेह एकसे ज़ियादा होंतो हरएकके नाम सम्मन और अरज़ीदावेकी नक़ल अलग २जानीचाहिये ॥

दफ़ा (१३) सम्मन या कैफ़ियत या काग़ज़मेंअदालतका नाम और मुक़द्दमे का अनवान साफ़ लिखना चाहिये और मुद्दआअलेह या गवाहका जैसीकिसूरतहो

चाहिये कि मुद्दआअलेहको इत्तिलाअ होगई और फिर मुक़द्दमेको ऐसीहालतमें एकतरफ़ाफ़ैसलकरदियाजावे॥

दफ़ा (१७) जोमुद्दआअलेहमौजूदनहो और उसका ठीकपता भी मुद्दई न बतासके और उसके घरमें कोई मर्दभी न मिलै तो ऐसी सूरतमेंभी सम्मन उसकेघरपर चिपका दियाजावे परंतु ऐसेसम्मनमेंहाज़िरीकी मीआद एकमहीनेसे कम नहो ॥

दफ़ा (१८) किसी सूरतमें कोई परदे वाली औरत या ऐसा सरदारजिसको अदालतकीहाज़िरीमाफ़होचुकी हो ज़बरदस्तीसे अदालतमें नहीं बुलाया जायगा ॥

दफ़ा (१९) जोदिन और वक़्त मुक़द्दमेके सुननेकेलिये मुक़र्रर कियागयाहो उसपर मुद्दई हाज़िर नहो और केवल मुद्दआअलेह अपने आप या उसका वकीलहाज़िरहो तो मुद्दई का दावा ख़ारिजकरदिया जावेगा परंतु जो मुद्दआअलेह या उसका मुख़्तार मुद्दई के दावेकोक़बूल करे और हासियेके गवाह मुद्दआअलेहको पहिंचाने तो मुद्दईकोडिगरी करदीजायगी और जो ऊपरलिखेमुवाफ़िक़मुक़द्दमा ख़ारिज होजाय तो केवल उस हालतमेंसुना जायगा किमुद्दई अपनी ग़ैर हाज़िरीकावाजबी सबबबतलावे और मुक़द्दमा फिर नम्बरपर क़ायम करने की दर-

गवाहइसबातके लेकरकि हक़ीक़त में मुद्दआअलेह वोही है जो अदालत के रूबरू पेशहुआ है अदालत फ़ैसला और डिगरी लिखदे॥

दफ़ा (२३) जो मुद्दआअलेह मुद्दई के दावेसे इन्कारकरे तो अदालत को चाहिये कि फ़रीक़ैन मौजूदा या उनके मुख्तारों से या जो काग़ज़ मिसलमें शामिल होचुके हों उनसे ऐसी तहक़ीक़ात करे कि जिससे अदालतको साफ़ मालूम होजाय कि क्या क्या बात दरियाफ़्त करने के लायक़ है॥

दफ़ा (२४) जब यह कार्रवाई पूरी होजावे तो अम्रतन्क़ीह तलब लिखदिये जावें और उनको एकएक नक़ल फ़रीक़ैन या उनके मुख्तारों को देदीजावे या उनको हिदायत करदीजावे कि वो अपना आप नक़ल करलें॥

दफ़ा (२५) जब एक अम्र वाक़ई एक फ़रीक़ की तरफ़ से पेशहो और दूसरा फ़रीक़ उससे इन्कार करे तो अम्रतन्क़ीहतलब पैदाहोता है॥

दफ़ा (२६) अदालत को तजवीज़ करना चाहिये कि किस अम्रतन्क़ीहतलब का सबूत किस फ़रीक़ के ज़िम्मेहै और यह भी लिहाज़ रखना चाहिये कि अम्र

न हुइ हो बशर्त्ते कि वो दस्तावेज़ संवत् १९३० से पहले की नहो—

(२) जिस तमस्सुक़ की पुश्तपर अलावह वसूल बाक़ी कोई नया इक़रार या इबारत वै या इन्तिक़ाल लिखीहो—

दफ़ा (३०) अम्रतन्क़ीहतलब मुक़र्रर करने के बाद उनका सबूत पेशकरने के लिये एक तारीख़ मुक़र्रर होनी चाहिये और फ़रीक़ैन को हिदायत होजानी चाहिये कि सबूत में जो गवाह लिखें उनके निस्बत अपने अपने जवाब में साफ़ लिखदें कि उन गवाहोंको वो अपने आप हाज़िर करेंगे या अदालत की मारफ़त तलबकराना चाहेंगे॥

दफ़ा (३१) जो फ़रीक़ैन अपने गवाह अदालतकी मारफ़त तलबकरावें तो फ़रीक़ैन के जवाब पेशहोनेपर ज़ाब्तेके मुवाफ़िक़ सम्मन उन क़वायद के मुवाफ़िक़जो ऊपर लिखेगये हैं जारी कियेजावें॥

दफ़ा (३२) जो गवाहोंको अदालतमें हाज़िरहोने से इन्कार हो या इत्तिलाअपाई करनेके बाद हाज़िर नहों तो जबरन् बुलाये जासक्ते हैं याने वारंटजारी कर के अलावा उन के कि परदे के सबबसे या अपने जाती

(३) मौक़ेकी तहक़ीक़ात के लिये या किसी और बातके लिये जो अदालत मुनासिब समझे ॥

दफ़ा (३५) मुद्दआअलेह या गवाह या कमीशन के बुलाने के लिये जो किसी फ़रीक़ की दरख़्वास्त से मुक़र्रर कियागया हो या अदालतकी रायसे नीचे लिखे मुवाफ़िक़ तलबाना फ़ी आदमी उस फ़रीक़ से लिया जावेगा-कि जिसकी दरख़्वास्त पर वो आदमी बुलाया जावे ॥

दशरुपये तकके दावेमें दो आने
दशसे ज़ियादह ५०) तकके दावे में ।)
पचास से ज़ियादह १००) तकके दावेमें ।=)
सौ से ज़ियादह १०००) तकके दावेमें ॥)
हज़ारसे ज़ियादह ३०००) तकके दावेमें ॥।)
तीनहज़ार से ज़ियादह के दावेमें १)

यही शरह तलबानेकी हालमें जारीहै और बदस्तूर रक्खी जावेगी ॥

दफ़ा (३६) जब कि मुक़द्दमेकी तहक़ीक़ात होरही हो मुद्दई मुद्दआअलेह आपस में फ़ैसला करलें और राज़ीनामा दाख़िल करदें तो मुक़द्दमा फ़ौरन्ख़तमकर-देना चाहिये ॥

चाहिये और जो मुद्दईका हक़ साबित हुआहो तोउस कैफ़ियत के मुवाफ़िक़ अदालत डिगरी सादिरकरदे ॥

दफ़ा (४१) जो एक पंच उन मुक़र्ररकिये हुयेपंचों मेंसे पंचहोने से इन्कार करे या पंचायत की कार्रवाई नहींकरे तो अदालत दूसरा पंच उसकी जगह फ़रीक़ैन की मरज़ी से मुक़र्रर करसक्तीहै जो आख़ीर में यह मालूमहोवे कि पंच कुछ राय नहीं देसकेहैं तो अदालतको इख़्तियारहोगा कि हुक्म पंचोंके मुक़र्रर करनेका मन्सूख़ करदे और मिसलकी रूयदाद पर मुक़द्दमा फ़ैसल और तजवीज़ करदे ॥

दफ़ा (४२) जब पंचोंके मुक़र्रर करनेका हुक्मदिया जावे तो जिन २ बातोंकी तजवीज़ होनाज़रूरहै साफ़२ लिखकर पंचोंको देदीजावें ॥

दफ़ा (४३) गवाहोंके इज़हार हलफ़ से होनेचाहियें और जो मुद्दई मुद्दआअलेहके बयान लिखेजावें वो भी हलफ़ से होनाचाहिये ॥

दफ़ा (४४) जो कोई गवाह या मुद्दई या मुद्दआअलेह हलफ़ से इज़हार देनेसे इन्कारकरे तो उसपर जुर्म मुवाफ़िक़ दफ़ा १७८ ताज़ीरातहिन्दके क़ायमकर के सिपुर्द अदालत फ़ौजदारी कियाजावेगा ॥

वीज़ करने वाले को किसीतरह का इख़्तियार फ़ैसले में घटाने या बढ़ाने या बदलने का नहोगा जबतक कि दरख़्वास्त नज़रसानी की पेश होकर ज़ाब्ते को कार्रवाई नहीं कीजावे ॥

दफ़ा (४९) जो कोई मुक़द्दमा किसी करसेपर हो तो—चूंकि अक्सर बोहरे सूदकाटावग़ैरह से असामीको बहुत ज़ेरबार करतेहैं और करसे से एकमुश्त रुपये का अदाहोना मुश्किल होताहै इसलिये हाकिम अदालत पहले मुद्दआअलेहकी हैसियतका हाल अपने तौर पर या तहसीलदार की मारफ़त दरियाफ़्त करले उसके बाद डिगरी में मुद्दआअलेह की हैसियत के मुवाफ़िक़ नक़द क़िस्तें और भरना तजवीज़ करदे—और जो भरना तजवीज़ कियाजावे उसमें यह भी ज़रूर लिखदेना चाहिये कि भरना रुपये में कितने आनेका होगा और उसकी क़ीमत किसतरह से तजवीज़ की जावेगी—और जो मुद्दआअलेह महाजन या कोई और ज़ातका हो तो अदालत जैसे मुनासिब समझे तजवीज़ करे ॥

दफ़ा (५०) तजवीज़ करने के बाद डिगरी लिखी जावे और डिगरी में तादाद रुपये डिगरी और यह भी कि किसतरह पर फ़ैसला कियागया दर्ज कियाजावे—

दफ़ा (५५) चूंकि बरसात में करसोंको बहुत काम रहताहै और उनके बार बार बुलाने में खेती का बड़ा हर्ज होताहै- इसलिये १५ जूनसे १५ अक्टूबर तक करसोंके मुक़द्दमे नहीं सुनेजायँगे और जो इस अरसे में किसी दावे की मीआ़द पूरीहोजाये तो यह दिन मीआ़द में नहीं गिनेजायेंगे और जो दावा १६ अक्तूबर को पेश होजावे वो अन्दर मीआ़द समझा जावेगा अलबत्ता जो ऐसा दावा उस तारीख़ को पेश नहो तो उसको मीआ़द बाक़ी न रहेगी ॥

(तशरीह) करसा वोही समझा जायगा कि जिसके सिवाय खेतीके और कोई पेशा नहो ॥

क़ुर्क़ी या गिरफ्तारी फ़ैसले से पहिले—

दफ़ा (५६) नालिश दायर होनेसे पीछे और फ़ैसलेसे पहिले जो मुद्दई तहरीरी दरख्वास्त पेश करके यह ज़ाहिर करे कि मुद्दआ़अलेह हक़रसीमें देरकरने या अदाय रुपये में हर्ज डालनेकी नीयतसे अपनामाल अलग करता है तो मुद्दई के यहबात हलफ़न् ज़ाहिर करनें और दो गवाह पेशकरने पर अ़दालत मुद्दआ़अलेह से ज़मानत इसबातको लेले कि जो मुद्दई की डिगरी होजाय तो ज़ामिन उस डिगरी का रुपया अदा

नालिश बसीग़ै मुफ़लिसी

दफ़ा (६०) जोकोई आदमी ऐसा ग़रीबहो कि फ़ीस मुक़र्ररा अदा न करसके तो वोनालिश या अपील सादे काग़ज़पर करसक्ताहै ॥

दफ़ा (६१) ऐसा दावा करनेवालेको लाज़िम होगा किपहले अपनी दरख़्वास्त अदालत मजाज़ या महकमे ख़ासमेंपेशकरे और मुफ़लिसीका सबूत और उसजायदाद की फ़ेहरिस्तभी दाख़िलकरे जोवो रखताहो——

दफ़ा (६२) जो तहक़ीक़ात करने के बाद अदालत कीराय में यह बात साबित होजावे कि हक़ीकृत में उस आदमी के पास इसक़िस्मकी जायदाद नहींहैकि जिस से मुक़द्दमे का ख़रचा अदा कर सके तोउसको मुफ़लिसी में नालिशदायर करने की परवानगी दीजावेगी ॥

दफ़ा (६३) ऐसी परवानगी हासिल करने पर उस शख़्सको सादे काग़ज़ पर ज़ाब्तेके मुवाफ़िक़ अर्ज़ी दावा पेश करने का इख़्तियार होगा और ऐसा अर्ज़ी दावा पेशहोने पर वोही कार्रवाई कीजायगी जो दूसरे दावोंमें कीजाती है मगर इसका ख़र्चा मुक़द्दमा फ़ैसल होनेके बाद जोडिगरीहोतो मुद्दआअलेहसे वसूल किया जावेगा या जोडिगरीमें ख़रचा जिम्मेमुद्दई रहे तो ज़र

वग़ैरमन्क़ूला भी कर सक्तीहै लेकिन इजरायडिगरीकी बाक़ीकार्रवाई अपीलकी मिआद गुज़रनेके बाद होगी औरजो अपील दायर होजावे तो फ़ैसले अपीलके बाद जोज़रूरतहो—

दफ़ा(६७)जबइजरायडिगरीकी दरख्वास्तअदालतमें पेशहो तो रजिस्टरमें चढ़ानेकेबाद अलग नम्बर परयह मुक़द्दमा क़ायम किया जायगा॥

दफ़ा (६८) जो डिगरी एकसालके भीतरजारीहोतो इजराय डिगरीकी कार्रवाई फ़ौरन शुरू करदी जायगी नहींतो मदयून को पंदरह दिन का इत्तिलअनामादिया जायगा और इत्तिलअनामे की मिआद गुज़रनेके पीछे कार्रवाई इजराय की जावेगी॥

दफ़ा (६६) जो कोई डिगरी बराबर तीन साल-तक जारीनहो तो तीन बरस पूरेहोनेके बाद वो डिगरी ख़ारिजसमझी जावेगी सिवाय उससूरतके कि जिसका ज़िक्रदफ़ा (३) के नोटमें किया गयाहै॥

दफ़ा(७०)डिगरी दारको इख़्त्यारहै कि मदयून की जायदाद मन्क़ूला वो ग़ैर मन्क़ूला की क़ुरक़ी की दर-ख्वास्त पेशकरे लेकिन नीचे लिखी हुई चीज़ें क़ुर्क़ नहीं होसक्तीहैं—

औरडिगरीका रुपयादेनेके बादजोकुछ बाक़ीरहेगा वो मदयूनको दिया जावेगा॥

दफ़ा (७३) जो डिगरी में जायदाद मन्क़ूलाकुर्क़हो तोक़ुरक़ीकेवक्त उसका सुपुर्दनामाकिसीतीसरे आदमीसे लियाजावे याजो कोई सुपुर्द नामा न देतो क़ुर्ककी हुई चीज़ डिगरीदारके सुपुर्द कर कर उससे सुपुर्दनामा लिखालिया जावे औरउसमें पंदरहदिनका इश्तहार दिया जावे ताकि जिस किसी को उसको निस्बत उज़्रहो अपनी उज़रदारी उस मिआदमें पेश करदे॥

दफ़ा (७४) जो जायदाद ग़ैरमन्क़ूला क़ुर्क़ हो तो एक महीने का इश्तहार जारी किया जावेगा और एक नक़ल उस इश्तहारको क़ुर्ककी हुई जायदाद पर चिपकाई जावेजो किसीको उसजायदाद के निस्बत कुछउज़्र होतो उसमिआदमें उज़रदारी पेशकरदे॥

दफ़ा(७५) ऊपरलिखीहुई मिआद गुज़रने पर जो माल मन्क़ूला हो तो वो नीलाम किया जावेगा औरजो जायदाद ग़ैरमन्क़ूला होतो पंदरहदिनका इत्तिलअनामा मदयूनको फ़िर दियाजावेगा और जो उस मिआदमें भी वो डिगरी कारुपयाअदानकरे तो क़ुर्क़ की हुईजायदाद नीलाम की जावेगी॥

कोई उज़र उस जायदाद की निस्बत नहीं सुनाजायगा मगर नम्बरी दावा उसका होसक्ता है ॥

दफ़ा (७९) यहां पेशकसी अक्सर मकान या खेती की ज़मीन पर लगती है इसलिये नीलाम के वक्त नीलाम करनेवाले अहल्कार को यह बात ज़ाहिर करदेनी होगीकिजो हक़राजका उसजायदादमेंहै वोबदस्तूर बनारहेगा और उसका ज़िम्मेदार ख़रीदार होगा ॥

दफ़ा (८०) जो फ़रीक़ैन के आपसमें फ़ैसला होजावे तो इजरायडिगरी की कार्रवाई फ़ौरन बंदकरदी जायगी और मुक़द्दमा रजिस्टर से ख़ारिजकरके दाख़िल दफ़्तर कियाजावेगा ॥

दफ़ा (८१) जो डिगरीदार मदयूनको हवालात में भेजने की दरख्वास्त पेशकरे तो उसको मंज़ूरी महकमे ख़ाससे लेनीहोगी और यह मंज़ूरी उसी हालत में दी जावेगी कि जब यह साबित कियाजावे कि मदयून अपनी जायदाद को छिपाना चाहता है या डिगरीका रुपया इरादतन् देना नहीं चाहता ॥

दफ़ा (८२) हवालातकी दरख्वास्त मंज़ूरहोनेकी हालतमें मदयून नीचेलिखी हुई शरहके मुवाफ़िक़ हवालात में रहसक्ता है ॥

क़ुर्क़ीके ज़रियेसे नहीं रोकेगा जो डिगरी पच्चीस रुपयेसे कमकी नहो जो डिगरी इससे कमकीहो और अदालत मुनासिब समझे तो मदयून को आयन्दा की जवाब दही से बरी करसक्ती है ॥

दफ़ा (८५) मदयूनकेमरजानेसेउसके वारिस जवाबदही डिगरीसे बरी न समझे जावेंगे—

दफ़ा (८६) जोडिगरीदार मरजावे तो डिगरी बदस्तूरजारीरहेगी बशर्त्ते कि उसका वारिस पंदरह दिनके अन्दर दरख़्वास्त क़ायम मुक़ामी पेशकरदे जो ऐसी दरख़्वास्त पेशनहो तो मुक़द्दमा इजराय डिगरी ख़ारिज करदिया जावेगा परंतु आयन्दा वारिस डिगरीको फिर जारीकरासक्ता है ॥

दफ़ा (८७) चूंकि इजरायमें सिर्फ़ असली हुक्म डिगरीकोतामीलहोतीहै इजरायमें नया फ़ैसला करने केलिये मुक़द्दमा सुपुर्द पंचायत नहींहो सक्ता॥

दफ़ा (८८) इजराय डिगरीमें जो दरख़्वास्त क़ुरक़ीमालया जायदाद की जावेतोतलबाना उसीशरहसे लियाजायगाकि जैसे मामूली लिया जाताहै परंतु जो दरख़्वास्त हवालातकी कीजावे तो तलबाना मामूल से दूना देनाहोगा ॥

का खर्चा जो अदालत मुनासिब समझे डिगरीदार से दिलाया जावे और जो साबित न हो तो खर्चा फ़रीक़ सानी उज़ुरदारसे दिलाया जावेगा ॥

नज़रसानीफ़ैसला

दफ़ा (६३) अदालत दर्खास्त नज़रसानी आठ आनेके इस्टाम्पपर लेसक्ती है बशर्तें कि अपील उस तजवीज़का दायर न हुआहो औरवो दर्खास्त फ़ैसले की तारीखसे तीन महीनेके भीतर गुज़रजाय और उसकी बुनियाद इसतरहपर हो ॥

(१)कोईनयासुबूत बावजूद पूरी कोशिशके मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात के वक़्त न मिलाहो और पीछेसे निकल आवे ॥

(२) जोकोई बड़ी बेज़ाब्तगीहुईहो या मुक़द्दमेकी असली बातोंके समझनेमें ग़लती होनेकेसबबसे फ़ैसले में रिआयत होगई हो ॥

(३) जो और किसी सबबसे अदालत दर्खास्त नज़रसानी लेना मुनासिब समझे ॥

ऐसीदर्खास्त सिर्फ़ वोही हाकिम लेसक्ताहै जिसने पहिले हुक्मदियाहो उसकी जगह आनेवालाहाकिम नहीं ॥

लिखनी चाहियें औरयहभी कि इतनेफ़ैसलेमें उज़ुरहैं अपील की वजूहात के नम्बर लगाने चाहियें और एक उज़ुर दुबारानहीं लिखना चाहिये और जहांतकहोसके वजूहात मुख्तसिर हों अपील की अर्ज़ी के साथ उस आख़ीरफ़ैसले या हुक्मकी नक़लपेश करनी चाहिये जिस का अपील कियाजाय॥

दफ़ा (९९) जिस मुक़द्दमे में नज़रसानी होजाय बसूरत नामंज़ूरी नज़रसानी के असली फ़ैसलेका अपी-लनहोसकेगा और जो नज़रसानी मंज़ूरहुईहो तोदूसरे फ़रीक़को इख़्तियारहासिलहोगा औरअपीलकीमीआ-दनज़रसानी के फ़ैसले की तारीख़ से गिनीजायेगी —

दफ़ा(१००)दरख़्वास्त अपील बग़ैर देखने मिसल अदालतमातहतके ख़ारिजनकी जावेगी परंतु जोअपील कीवजूहात काफ़ीनहों तो बग़ैर बुलानेफ़रीक़ैन मुक़द्दमा के अपील दाख़िलदफ्तर किया जासक्ताहै॥

दफ़ा(१०१)जोअपीलकी वजूहात मुनासिबमालूम हों तो उसके सुननेके लिये एकदिन मुक़र्ररकियाजायगा औरज़ाब्तेकेमुवाफ़िक़ उसकीइत्तिलाअ़ फ़रीक़ैनकोदीजा वेगी और फ़रीक़ैन के उज़रात और वजूहात पर ग़ौर कियाजावेगा॥

की मारफ़त हाज़िर अदालत होसक्तेहैं जिसको पूरा इ-ख़्तियार दियागयाहो——

दफ़ा (१०८) हरएक मुख़्तार उस अदालत के अफ़सर का मातहत रहेगा जहां वो वकालत करता है और उन क़ायदोंकापाबंदहोगा जो समय २ पर उसअ-दालतसेजारीहों ॥

दफ़ा (१०९) किसी नाबालिग़ या पागलकी तरफ़ से या उनपर कोई नालिश नहीं सुनी जायगी और जो किसी मुक़द्दमे में ऐसा फ़रीक़हो तो उसके क़रीब रिश्ते दार या वली को उसमुक़द्दमेकी जवाबदहीकेलियेज़रूर उसके शामिल रखना चाहिये——

दफ़ा (११०) जो क़र्ज़ लेनेवालेका कोई ज़ामि-नहो तो मुद्दईको इख़्तियारहोगा कि वो दोनोंपर दावा करे और जोडिगरीहोजाय तो उनमें से जिससे चाहै एकसे रुपया वसूल करे या दोनों से ॥

दफ़ा(१११)जोकिसी मुक़द्दमे में कईमुद्दआअलेहहोंतो डिगरीदारको इख़्तियारहोगा किचाहे सबसेअपनारुपया वसूलकरे या किसीएकसेजिसको वो मोतबिर समझे ॥

दफ़ा (११२) कोतवाल वो तहसीलदार हरमही-ने एक नक़शा उनमुक़द्दमोंका जो उनके यहां दायर वो

क़ानूनरजिस्टरी ॥

रियासतशाहपुरा

मुरत्तिबे

बाबूरामजीवन कामदार रियासत शाहपुरा
हस्बुल हुक्म वो मंज़ूरी राजाधिराज
श्री नाहरसिंहजी साहब रईस शाहपुरा

लखनऊ

मुंशीनवलकिशोर के छापेख़ाने में छपा

अक्टूबर सन् १८८७ ई० ॥

क़वायद रजिस्टरी रियासत शाहपुरा



दफ़ा (१)–नीचे लिखे हुए लफ्ज़ोंके यह माने समझे जांयगे ॥

(१)–जायदाद मनक़ूला में नक़द रुपया और वो सब चीज़ें शामिल हैं जिनको उनकी असली हालत में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें ॥

(२)–जायदाद ग़ैर मनक़ूला से वो जायदाद मुराद है जो एक जगह से दूसरी जगह उसकी असली हालत में न उठ सके या न ले जासके जैसे ज़मीन मकान या खड़ी हुई शाख़ ॥

(३)–हिबहनामा वो दस्तावेज़ है जिसकी रूसे कोई शख़्स अपना माल वो जायदाद मनक़ूला या ग़ैर मनक़ूला कि जिसके देनेका उसको पूरा इख़्तियार हो किसी शख़्स को देदे ॥

(४)–तब नियतनामा-उस दस्तावेज़ को कहते हैं कि जिसकी रूसे कोई आदमी किसी दूसरेका लड़का गोदले याने अपना लड़का बनाले ॥

दफ़ा (६)—जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी किसी तहसीलमें होनी चाहिये वो महक्मे ख़ासमें रजिस्टरीके लिये पेशकी जावे तो उसकी रजिस्टरी महक्मे ख़ाससे करदी जायगी मगर फ़ीस दुचन्द ली जायगी॥

दफ़ा (७)—जिन दस्तावेज़ों का ज़िक्र ऊपर लिखा गया उनके सिवाय जो दस्तावेज़ात रजिस्टरी के लिये पेशहों उनकी रजिस्टरी महक्मे ख़ास में की जायगी॥

दफ़ा (८)—महक्मे ख़ास वो दफ़्तर सब रजिस्टरार में नीचे लिखे मुवाफ़िक़ रजिस्टर रक्खे जांयगे॥

(१)—रजिस्टर वास्ते नक़ल उन दस्तावेज़ातके कि जो रजिस्टरी के लिये पेशहों॥

(२)—रजिस्टर जिसमें रोज़मर्राकी आमदनी दिखलाई जाय इसमें फ़रीक़ैनके नाम क़िस्म दस्तावेज़ तादाद मुंदर्जे दस्तावेज़ और तादाद फ़ीस भी लिखी जायाकरे॥

दफ़ा (९)—ऊपर लिखेहुए रजिस्टर किसी जगह से छीले या काटे नहीं जाने चाहियें और नक़लसाफ़ और अच्छे हरफ़ों में लिखी जानी चाहिये हरदस्तावेज़ की नक़ल के नीचे दस्तख़त ओहदेदार रजिस्टरीके होने चाहियें और रोज़ाना आमदनी पर भी ओहदेदार मौसूफ़ के दस्तख़त होने चाहियें और दस्तावेज़का मु-

(१)— ओहदेदार रजिस्टरी को लाज़िम होगाकि पहले तहक़ीक़ात इसबातको करेकि वो दस्तावेज़इन्हीं आदमियों की तरफ़ से लिखीगईहै कि जिनकी तरफ़से तकमील पाना मज़मूनसे पायाजावे॥

(२)—इतमीनान बाबत पहिचानने उनआदमियों के जोउसके रूबरू हाज़िरहों—और यह बयान करेंकि दस्तावेज़ मज़कूर उनको लिखी या लिखाई हुईहै॥

(३)— जिसहालत में कि कोई आदमी क़ायम मुक़ामया मुख़तार किसीका हाज़िरहोतो इसबातकाइत-मीनान करले कि वो आदमी हाज़िर होनेका इख़्तियार रखताहै॥

(४)— जबइन सबबातोंका इतमीनान होजावे और हाज़िर आयेहुए आदमी लिखने दस्तावेज़ वोपाने रुपये का इक़रारकरें— तोओहदेदार रजिस्टरीको लाज़िम है कि रजिस्टरी करदे—

दफ़ा (१३)—पुश्तदस्तावेज़ परयह बातेंदरजहोनी चाहियें— किदस्तावेज़ लिखने वालेने—लिखनेदस्ता-वेज़— वोपाने ज़र समन —सेरूबरू ओहदेदार रजि-स्टरी के इक़रार किया — और ओहदेदार रजिस्टरी उसको बज़ात ख़ुदजानताहै या फ़लाने फ़लाने गवाहोंने

रजिस्टरी करनेसे इन्कार करनेके सबब॥

दफ़ा (१६)—जोदस्तावेज़ लिखनेवाला या लिखनेवालों में से एक शख़्स लिखने दस्तावेज़ वो पानेरुपये से इन्कारकरे और उसका वाजिबी सबब बतलावे तो रजिस्टरी नकीजावेगी॥

दफ़ा (१७)— जो रजिस्टरी के वास्तेकोई हुक्म अख़ीर याडिगरी पेशहोतो अपीलकी मिआद गुज़रे तक उसकी रजिस्टरी नकीजावेगी॥

दफ़ा (१८)—जो ओहदेदार रजिस्टरी को यहमालूमहोजावे कि जिसजायदाद के बाबत रजिस्टरी कराई जातीहै वो पहिलेबज़रिये रहनयाबै किसीदूसरेकेहाथमुन्तक़िलहोचुकीहै तो रजिस्टरीसे इन्कार कियाजायगा॥

दफ़ा (१९)——जोइनके सिवाय और कोईख़ास सबब ओहदेदार रजिस्टरीको इन्कार करनेका मालूम होतेभी रजिस्टरी करनेसे इन्कार करसक्ताहै॥

दफ़ा (२०) चूंकिडोहलीवो मुआफ़ीकोज़मीनख़ास ग़रज़के साथदी जातीहै और उनके इन्तकाल से देनेवालेकी असली ग़रज़ जातीरहती है इसलिये उनका रहनभोगलाऊ याबैहोना मुनासिब नहींहै परंतु चूंकि इसमें डोहली और माफ़ीदारों को कुछसख़्ती मालूम

को इख़्तियारहोगा कि चौथाई रुपया नक़ददेकर बाक़ी रुपयेको वाजिबी क़िस्तें मुक़र्रर करदे और ज़मीनपर अपना क़ब्ज़ा करले ॥

(४)— मुआफ़ी दो क़िस्मकी होती है— एक सिर्फ़ इनाम या ख़ैरातके तौरपर कि जिसके एवज़ कोई चाकरी नहींलीजाती—दूसरीजिसके एवज़में कोईचाकरी मुक़र्ररहो इस पिछली सूरतमें जो राजको चाकरी में कोई फ़तूर पड़े तोराजको इख़्तियार होगा कि ज़मीन को ज़ब्तकरले और उसहालतमें मुरतहिनका कोईउज़्र क़ाबिल लिहाज़ के न होगा सिवाय इसके कि उसके क़रज़ेकाबोझ गिरवीरखनेवालेकीज़ातपर समझाजावे॥ इसलिये डोहलीया माफ़ीको ज़मीनकीबाबतजोकोई दस्तावेज़रजिस्टरी केलियेपेशहो तोउसकोरजिस्टरीकरनेसेपहिलेइनसब बातोंपर लिहाज़करनाज़रूरहोगा और जोकोईइनमेंसेबात हारिजहोतोरजिस्टरी न कीजायगी॥

दफ़ा (२१)जोकोई जायदाद जिसकीबाबत रजिस्टरीकराईजावे पहिलसे वाजिबी तौरपर बज़रिये रहन याबैकिसीकेहाथ मुन्तक़िल होचुकीहो तो हालकीरजिस्टरीका असरपहिले कीकाररवाई परकुछनहोगा ॥

क़ायदों के मुवाफ़िक़ लाज़िमी है वो बिला रजिस्टरी की हुई किसी अदालत में किसी मुक़द्दमे में गवाही में न ली जायगी और न उसकी बुनियाद पर कोई दावा सुना जायगा ॥

दफ़ा (२५) ऊपर लिखी हुई दस्तावेज़के सिवाय जो दस्तावेज़ बाबत माल या जायदाद मनक़ूला हो उसकी रजिस्टरी इख्तियारी है ॥

क़िस्मदस्तावेज़	जो तादादनीचे लिखीसे ज़ियादह हो	जोतादाद नीचेलिखीसे ज़ियादह नहो	तादाद फ़ीस रजिस्टरी
	५००)	५५०)	५॥)
	५५०)	६००)	६)
	६००)	६५०)	६॥)
	६५०)	७००)	७)
	७००)	७५०)	७॥)
	७५०)	८००)	८)
	८००)	८५०)	८॥)
	८५०)	९००)	९)
	९००)	९५०)	९॥)
	९५०)	१०००)	१०)

अबआयन्दाहरसैकड़ेयाउसकेहिस्सेपर १)

२—बैनामा	+	२५)	१।)
	२५)	५०)	२॥)
	५०)	७५)	३॥।)
	७५)	१००)	५)
	१००)	१२५)	६।)
	१२५)	१५०)	७॥)
	१५०)	१७५)	८॥।)
	१७५)	२००)	१०)
	२००)	२२५)	११।)
	२२५)	२५०)	१२॥)
	२५०)	२७५)	१३॥।)
	२७५)	३००)	१५)

क़िस्मदस्तावेज़	जो तादादनीचे लिखी से ज़ियादह हो	जो तादादनीचे लिखीसे ज़ियादहनहो	तादादफ़ीस	रजिस्टरी
सैकड़े या उस के हिस्सेपर बीसहज़ारतक			३)	

और बीस हज़ारसे ज़ियादह फ़ी सैकड़े या उसके हिस्सेपर— २)

३—हिबहनामाजायदाद मन्क़ूला या ग़ैर मन्क़ूला			बशरह बैनामा	
४—दस्तावेज़ ठेका जो पांचसालसेज़ियादहके लिये रअय्यत की तरफ़ सेहो			बशरह रेहननामा	
५—फ़ारिगख़ती	०	०	२)	
६—तबनीयतनामा	०	०	२)	
७—तक़सीमनामा जायदाद मन्क़ूला या ग़ैरमन्क़ूला	०	०	२)	
८—मुख़्तारनामा आम	०	०	१)	